सूचना अधिकार अधिनियम 2005

पत्रांक संख्या : आरटीआई/सूवि/द्वित/26-2704 दिनांक : 27 अप्रैल 2026

सेवा में,

माननीय सूचना आयुक्त
राज्य सूचना आयोग
देहरादून, उत्तराखण्ड

विषय– 1. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, प्रथम अपीलीय आदेश/धारा 19(1) की अवहेलना के संबंध में।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत धारा 7(1) का उल्लंघन, 'निर्धारित समयावधि में सही एवं पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।'

3. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत धारा 7(6) का उल्लंघन, 'आदेश के बाद निशुल्क सूचना भी उपलब्ध न कराना, गुमराह एवं भ्रमित करना।

4. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत धारा 2(एफ) एवं 2(जे) का उल्लंघन, 'वांछित मांग को छोड़ व्याख्यात्मक, अस्पष्ट, असंगत और भ्रामक उत्तर देने के संबंध में।

5. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत धारा 4-1-सी (पारदर्शिता के सिद्धांत) का उल्लंघन, 'प्रशासनिक निर्णयों एवं कार्यवाही की पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं की गई।'

संदर्भ– ***विभागीय अपीलीय अधिकारी आदेश अनुपालन पत्र, जिसका पत्रांक– 84/सू.एवं.लो.सं.वि.(सूचना अधिकार)-222/2025, दिनांक-27 मार्च 2026, पत्र प्राप्ति दिनांक-29 मार्च 2026.***

माननीय महोदय,

सविनय निवेदन है कि अपीलकर्ता/मेरे द्वारा महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग को 08 अक्टूबर 2025, 13 अक्टूबर 2025, 24 अक्टूबर 2025, 30 अक्टूबर 2025 और 19 नवम्बर 2025 को कार्यवाही के लिए पत्र जमा किये गये थे, जिनकी सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न हैं। *(संलग्नक-01 से 05 तक)*

माननीय महोदय, अपीलकर्ता/मेरे द्वारा दिनांक 26 नवम्बर 2025 को उक्त पत्रों की छायाप्रति प्राप्त करने तथा पत्रों से संबंधित हुयी कार्यवाही के विवरण को जानने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। *(संलग्नक-06)* इस आवेदन के क्रम में लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 16.12.2025 को अपूर्ण एवं भ्रामक उत्तर देकर सूचना अधिकार अधिनियम की अवहेलना की गयी। जिसमें मांगी गई वास्तविक सूचना (सत्यापित प्रतियां एवं कार्यवाही विवरण) उपलब्ध नहीं कराया गया। *(संलग्नक-07)*

पांच बिंदुओं के संबंध में लोक सूचना अधिकारी का प्रथम उत्तर– बिंदु संख्या 01 से 05 तक अस्पष्ट हैं। अतः अनुमान के आधार पर सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। **महोदय, मेरे किसी भी पत्र में अनुमानित दिनांक नहीं है। विभाग द्वारा दी गयी प्राप्ति रसीद में भी कोई अनुमानित दिनांक नहीं है और न ही सूचना अधिकार अधिनियम अनुमान के आधार को मानता है। यह भ्रमित करना नहीं है तो क्या है? यह धारा 7(1) का उल्लंघन नहीं है तो और क्या है।**

...क्रमशः पृष्ठ 2

माननीय महोदय, इसके बाद लोक सूचना अधिकारी महोदय से मुलाकात की गयी और उनके द्वारा यह बताया गया कि **"मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का कार्य आपके पत्रों से संबंधित नहीं किया जा सकता है। मैं आपके पत्रों और सूचना अधिकार अधिनियम के आवेदन की व्याख्या या विश्लेषण नहीं कर सकता हूं। मेरे द्वारा आपका आवेदन संबंधित प्रभाग/विभाग को भेज दिया जायेगा। उनसे मुझे जो सूचना प्राप्त होगी, वह मेरे द्वारा आपको उपलब्ध करा दी जायेगी। या तो आप प्रथम अपील दाखिल करें या नया आवेदन जमा करें।"** महोदय, अगर लोक सूचना अधिकारी महोदय सत्य कह रहे हैं तो सूचना अधिकार अधिनियम की **धारा 5(4) के अनुसार,**

Section 5(4): यदि लोक सूचना अधिकारी अपने कर्तव्यों के समुचित निर्वहन के लिए किसी अन्य अधिकारी की सहायता ले सकता है।

आसान भाषा में अर्थ लोक सूचना अधिकारी अगर खुद सूचना उपलब्ध नहीं कर पा रहा है, तो वह अपने विभाग के किसी अन्य अधिकारी से मदद ले सकता है, उस अधिकारी से संबंधित रिकॉर्ड/दस्तावेज मंगवा सकता है। जिस अधिकारी से मदद ली जाती है, वह भी आरटीआई के तहत जिम्मेदार माना जाता है। अगर गलती होती है (देरी/गलत सूचना), तो उस अधिकारी पर भी कार्रवाई हो सकती है।

माननीय महोदय, लोक सूचना अधिकारी महोदय ने प्रथम प्रतिउत्तर और मुलाकात में भ्रमित करने का कार्य किया गया है। अतः इस उत्तर से असंतुष्टि के बाद इस संबंध में अपीलकर्ता/मेरे द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर 2025 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। *(संलग्नक–08)* जिस संबंध में प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 16 जनवरी 2026 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की। *(संलग्नक–09)* सुनवाई के दौरान मेरे अपील से संबंधित आधारों पर चर्चा हुयी, लेकिन प्रथम अपीलीय अधिकारी महोदय का आदेश मुझे असंगत लगा। क्योंकि उन्होंने सूचना विभाग एवं लोक सूचना अधिकारी महोदय का पक्ष रखते हुये सूचना को निशुल्क की बजाय सशुल्क देने का आदेश दिया गया। *(संलग्नक–10)* लेकिन नियम क्या कहता है, अधिनियम क्या कहता है–

Section 7(6): यदि लोक सूचना अधिकारी द्वारा 30 दिन के भीतर सूचना नहीं दी, तो आगे दी जाने वाली सूचना पूरी तरह निःशुल्क (Free of Cost) होगी। क्योंकि प्रथम अपीलीय अधिकारी भी सूचना अधिकार अधिनियम से ऊपर नहीं है, उसे भी धारा 7(6) का पालन करना अनिवार्य है।

इसके बाद लोक सूचना अधिकारी से मुलाकात की गयी और उनके द्वारा यह बताया गया कि **"मेरे द्वारा आपके सूचना अधिकार अधिनियम के आवेदन से संबंधित वांछित सूचना का गठन एवं विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। अतः आप एक पत्र के माध्यम से सभी बिंदुओं से संबंधित पत्रों के विषय और संबंधित व्याख्या लिखकर दे दीजिए। संबंधित सूचना आपको उपलब्ध करा दी जायेगी।"**

माननीय महोदय, लोक सूचना अधिकारी महोदय पत्रों से संबंधित व्याख्या मांगें, फिर वांछित सूचना दिलायें। सूचना अधिकार अधिनियम में ऐसा कोई भी कानून या धारा नहीं है। यह अपीलकर्ता को

...क्रमशः पृष्ठ 3

भ्रमित करके अपने नये उत्तरों का गठन करना है। यह अधिनियम की **धारा 2(एफ) और 2(जे)** का उल्लंघन है, जिसके अनुसार इन्होंने कार्यवाही विवरण (संबंधित डायरी/रजिस्टर क्रमांक, फाईल नोटिंग, आदेश, पत्राचार और प्रमाणित प्रतिलिपियां) उपलब्ध नहीं कराया। सूचना अधिकार अधिनियम की **धारा 2(एफ) और 2(जे) के अनुसार,**

> **Section 2(f): सूचना से अभिप्राय किसी भी रूप में उपलब्ध सामग्री से है, जिसमें अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित डाटा तथा किसी निजी निकाय से संबंधित ऐसी सूचना भी शामिल है, जो किसी अन्य कानून के तहत लोक प्राधिकरण द्वारा प्राप्त की जा सकती है।**

> **Section 2(j): सूचना पाने का अधिकार से अभिप्राय इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसी सूचना तक पहुँच का अधिकार है, जो किसी लोक प्राधिकरण द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, और इसमें निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं– (01) अभिलेखों, दस्तावेजों, कागजातों का निरीक्षण करना, (02) नोट्स, अंश या प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना, (02) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना, (04) डिस्क, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना प्राप्त करना।**

इसके बाद मेरे द्वारा सभी बिंदुओं से संबंधित सभी पत्रों के विषय और संबंधित व्याख्या लिखकर लोक सूचना अधिकारी महोदय को दी गयी तथा संबंधित सभी पत्रों की छायाप्रतियां भी जमा की गयीं। *(संलग्नक–11)* लेकिन लोक सूचना अधिकारी महोदय ने दुबारा भ्रमित करने वाला उत्तर देकर अधिनियम की अवहेलना की और वांछित सूचना उपलब्ध न कराकर अपीलीय अधिकारी के आदेश (**धारा 19(1)** की भी अवलेहना की गयी। आदेश के अनुपालन में आज तक मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई, न ही संबंधित पत्रों/अभिलेखों की सत्यापित प्रतिलिपियां दी गई, अपितु एक पत्र के माध्यम से प्रश्नों को परिवर्तित कर भ्रामक एवं असंगत उत्तर प्रदान किया गया, जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। सूचना अधिकार अधिनियम की **धारा 19(1) के अनुसार,**

> **Section 19(1): कोई भी व्यक्ति, जिसे धारा 7(1) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्णय प्राप्त नहीं होता है, या जो लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट है, वह उस अधिकारी से वरिष्ठ ऐसे अधिकारी के समक्ष, जिसे संबंधित लोक प्राधिकरण में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है, तीस दिनों के भीतर अपील कर सकता है।**

माननीय महोदय, आपको यह भी अवगत करा दूं कि प्रथम अपील के आदेश अवहलेनाओं में सबसे पहले तो मुझे मेरे ही द्वारा भेजे गये पत्र और संलग्नक उपलब्ध नहीं कराये गये और न ही उनसे संबंधित हुयी कार्यवाही का कोई लिखित विवरण प्राप्त हुआ। प्रथम अपीलीय आदेश के अनुपालन से संबंधित पत्र प्राप्त हुआ। *(संलग्नक–12)* जिसके अनुसार संबंधित बिंदुओं में क्रमानुसार–

1. बिंदु संख्या 01 में 08 अक्टूबर 2025 को प्रार्थना पत्र के माध्यम से संबंधित नियम की मांग की गयी है, न कि नियमावली की। यदि प्रिंट मीडिया विज्ञापन नियमावली में संबंधित नियम है,

...क्रमशः पृष्ठ 4

तो लोक सूचना अधिकारी महोदय को नियम से संबंधित पृष्ठ की छायाप्रति देने में क्यों असमर्थता हो रही थी। जो उनके द्वारा विभाग की वेबसाईट का हवाला देकर नियमावली देखने की बात कही और **अपूर्ण तथा अस्पष्ठ** उत्तर दिया गया है। *(संलग्नक–01 एवं 12)*

इसी पत्र में एक ही स्वामी की दो पत्रिकायें, जो कि विभाग से विज्ञापन प्राप्त करने के लिए सूचीबद्ध नहीं हैं, उनको लगभग 15 से 20 लाख तक के विज्ञापन किस नियम के आधार पर आबंटित किये जा रहे हैं। इससे संबंधित आरटीआई में भी लोक सूचना अधिकारी महोदय द्वारा 'न संबंधित नियम बताया गया था और न ही निजी दर पर देने से संबंधित मुख्यमंत्री के निर्देश/आदेश पत्र दिये गये थे। *(संलग्नक–13)* संबंधित प्रथम अपील में अपीलीय अधिकारी को स्पष्टीकरण देने के लिए प्रिंट मीडिया प्रभाग के अधिकारी महोदय का कहना था कि **"इनके विज्ञापन का आवेदन न होने पर फोन से दी गयी सूचना पर ही विज्ञापन आबंटित कर दिया जाता है और रेट कार्ड की अनुपस्थिति में निजी विज्ञापन दर/राशि का 'सेटेलमेंट' हम अपने हिसाब से कर लेते हैं।"** कृपया लोक सूचना अधिकारी महोदय अथवा संबंधित प्रिंट प्रभाग के अधिकारी महोदय 'निजी विज्ञापन दर अथवा राशि को सेटेलमेंट करने' से संबंधित नियम स्पष्ट करें। गैर–सूचीबद्ध समाचार पत्र/पत्रिका को बिना आवेदन/बिना आदेश के निजी विज्ञापन देने से संबंधित नियम और उच्चाधिकारी के आदेश की प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।

2. बिंदु संख्या 02 में 13 अक्टूबर 2025 को प्रार्थना पत्र के माध्यम से संबंधित नियम की मांग की गयी है। जिसमें एक साप्ताहिक समाचार पत्र को पंजीयन प्रमाण पत्र न होने की स्थिति पर भी लगभग तीन लाख का विज्ञापन दिया गया है। इस समाचार पत्र को लगभग डेढ़ साल के समय में 21 लाख रुपये के विज्ञापन दिये गये हैं, जबकि यह भी विभाग में विज्ञापन के लिए सूचीबद्ध नहीं है। अंततः लोक सूचना अधिकारी महोदय ने विज्ञापन संबंधित **नियम 10.2 (घ)** बात करके पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। लेकिन इस नियम में गैर–सूचीबद्ध समाचार पत्र/पत्रिकाओं को विज्ञापन देना तथा बिना पंजीयन प्रमाण पत्र के समाचार पत्र/पत्रिकाओं को विज्ञापन देने से संबंधित कोई भी पंक्ति नहीं है। *(संलग्नक–02 एवं 12)*

3. बिंदु संख्या 03, जिसका संबंध 24 अक्टूबर के आवेदन से है। जो कि मेरे स्वयं के समाचार पत्र से संबंधित है। समाचार पत्र को सूचना विभाग से नवम्बर 2025 में निजी दर पर 2 लाख रुपये का विज्ञापन प्राप्त हुआ था। जिस संबंध में मेरे द्वारा संबंधित विज्ञापन के आवेदन, डीजी आदेश, मुख्यमंत्री आदेश, संबंधित आरओ और संबंधित पत्रावली की छायाप्रतियों की मांग की गयी। लेकिन लोक सूचना अधिकारी महोदय द्वारा फिर से अपूर्ण, असंगत और भ्रमित करने वाला उत्तर दिया कि 'विज्ञापन से संबंधित पत्रावली **<u>अन्य प्रकरण</u>** में गतिमान है। *(संलग्नक–03 एवं 12)* **माननीय महोदय, मेरे द्वारा 01 सितम्बर 2025 को सूअअ–2005 के अंतर्गत एक समाचार पत्र 'बिनसरी कु घाम' समाचार पत्र को दिये गये निजी विज्ञापन से संबंधित आरओ, विज्ञापन आदेश और भगुतान संबंधी सूचना मांगी गयी।** जिसके उत्तर में इन्हीं लोक सूचना अधिकारी महोदय ने संबंधित आरओ और विज्ञापन आदेश की छायाप्रति उपलब्ध कराई और भुगतान की फाईल शासन में गतिमान होने की बात कही। *(संलग्नक–14)* महोदय, सूचना अधिकार अधिनियम में इस प्रकार का अंतर/विभिन्नता कौन सी धारा के अन्तर्गत आता है, जिसमें **<u>अन्य प्रकरण</u>** की बात कहकर सूचना देने से पल्ला झाड लिया जाता है।

4. बिंदु संख्या 04, जो कि 30 अक्टूबर को विभाग में जमा किये गये पत्र से संबंधित है, जिसमें एल–3 अधिकारी / अपर निदेशक महोदय के द्वारा की गयी कार्यवाही और वेब टिप्पणी से असंतोष

...क्रमशः पृष्ठ 5

होने के कारण महानिदेशक महोदय को पत्र भेजा गया। जिसमें दो विषय हैं और दोनों विषयों से संबंधित सीएम पोर्टल में की गयी दो कार्यवाहियों को 26 और 29 अगस्त से लम्बित करके रखने और सीएम पोर्टल पर असंगत टिप्पणी करने से संबंधित हैं। लेकिन लोक सूचना अधिकारी महोदय के ज्ञान की पराकाष्ठा तब हो जाती है, जब वह इस बिंदु को ही बदल दें। यहां अपने बचाव के लिए मेरे द्वारा की गयी बिंदु की व्याख्या को बिंदु बनाकर उत्तर दे दिया है। लेकिन जो 30 अक्टूबर को सीएम पोर्टल से नहीं, बल्कि विभाग में जमा किया गया था, वह पत्र कहां गया? उसकी कार्यवाही कहां पहुंची? पत्रों से संबंधित व्याख्या लिखवाकर उन पत्रों को ढूंढने की बात करते हैं, जो पत्र हैं भी कि नहीं, पता नहीं! महोदय, यदि आपके पास पत्र उपलब्ध कराने की क्षमता होती तो कार्यवाही विवरण के अलावा मेरे द्वारा जमा किये गये पत्र और संलग्नक तो मुझे उपलब्ध करा देते। *(संलग्नक–04 एवं 12)*

5. बिंदु संख्या 05, जो कि 19 नवम्बर 2025 को भेजे गये पत्र से संबंधित है। यह पत्र सीएम पोर्टल के माध्यम से महानिदेशक महोदय को भेजा गया था। इस पत्र से संबंधित कार्यवाही 19 नवम्बर 2025 से ही एल–2 अधिकारी के पास थी। मेरे द्वारा वेब पर कार्यवाही से संबंधित कमेंट भी किया, लेकिन कोई फायदा नहीं। क्योंकि 15 मार्च 2026 को मैं किसी कार्यवश सूचना विभाग गया, वहां सूचना अधिकार अधिनियम की शाखा के एक अधिकारी/कर्मचारी से पूछा कि 'प्रथम अपीलीय आदेश के बाद भी अब तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने बिंदु संख्या 05 में असमंजसता दिखाई और कहा कि यह पत्र प्राप्त नहीं हो रहा है, इसीलिए देर हो रही है। मेरे द्वारा उनको बताया गया कि मेरे बिंदु संख्या 05 से संबंधित पत्र की हार्ड कॉपी नहीं दी गयी थी, बल्कि यह पत्र मुख्यमंत्री पोर्टल के द्वारा भेजा था। इस पत्र की हार्ड कॉपी और कार्यवाही विवरण एल–2 अधिकारी / संयुक्त निदेशक / प्रथम अपीलीय अधिकारी जी के पास प्राप्त हो सकती है। माननीय महोदय, इस बिंदु के अनूठे और अचरज भरे उत्तर पढ़कर आप भी चौंक जायेंगे। लोक सूचना अधिकारी महोदय उत्तर देते हैं कि **'सीएम हैल्पलाईन के माध्यम से सूचना उपलब्ध करा दी गयी है'**, लेकिन महोदय, क्या इनको पता है कि कार्यवाही क्या होनी थी? संबंधित पत्र का विषय क्या था? इससे भी बड़ी हंसने वाली और शर्मनाक बात यह है कि मेरे बताने से पहले 15 मार्च 2026 तक ये लैटर ढूंढ रहे थे और 17 मार्च 2026 को एल–2 अधिकारी महोदय का वेब पर कमेंट आता है कि **'इस संबंध में अवगत कराना है कि शासन के पत्र सूचना अनुभाग देहरादून, दिनांक 21 जून 2023 के क्रम में विज्ञापन संबंधी आवेदन पत्रों के लिए कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। क्योंकि उक्त से संबंधित सूचना आपको पूर्व में सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के माध्यम से उपलब्ध कराई जा चुकी है।'** *(संलग्नक–05, 12 एवं 15)*

माननीय महोदय, यहां मुझे लोक सूचना अधिकारी महोदय और एल–2 अधिकारी महोदय नहले पर दहला करने वाले अधिकारी साबित होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एल–2 अधिकारी जी को यह समझना बेहद आवश्यक है कि **यह पत्र विज्ञापन से संबंधित नहीं है।** कृपया ध्यान से देखें और फिर वेब पर अपनी टिप्पणी करें। महोदय ने यह भी कहा है कि उक्त से संबंधित सूचना आपको पूर्व में सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के माध्यम से उपलब्ध कराई जा चुकी है। जबकि वास्तविक उक्त/बिंदु के संबंध में किसी भी अन्य सूचना अधिकार का प्रयोग ही नहीं गया है। दूसरी तरफ लोक सूचना अधिकारी जी कह रहे हैं कि **'सीएम हैल्पलाईन के माध्यम से सूचना उपलब्ध करा दी गयी है'**। सीएम पोर्टल पर एल–2 अधिकारी कहते हैं कि सूचना अधिकार अधिनियम में सूचना दे दी है और लोक सूचना अधिकारी कहते हैं कि सीएम हैल्पलाईन के माध्यम से सूचना उपलब्ध करा दी गयी है। दोनों महानुभावों को चरण स्पर्श, क्योंकि इतना असीम ज्ञान आज तक मैंने कभी महसूस नहीं किया।

...क्रमशः पृष्ठ 6

...रा राय : गुमराह करने और भ्रमित जवाब देने में पहला स्थान–

माननीय महोदय, कुल मिलाकर... सबसे पहले तो मेरे किसी भी पत्र पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है। यदि की गयी होती तो क्या डायरी/रजिस्टर में एंट्री की गयी थी? कार्यवाही पूर्ण होने पर लिखित आदेश प्रार्थी को उपलब्ध कराया जाता है। यदि कार्यवाही की गयी होती तो लोक सूचना अधिकारी महोदय ने प्रथम प्रतिउत्तर **अस्पष्ट, असंगत और भ्रमित** करने वाला क्यों दिया? जिसके बाद प्रथम अपील लगाई गयी तो प्रथम अपीलीय अधिकारी महोदय ने संबंधित पत्रों में **पत्रांक न होने की बात में उलझाकर निशुल्क सूचना को सशुल्क सूचना** प्राप्त कराने के आदेश किस धारा के अन्तर्गत दे दिया। जबकि विभाग में विभाग में विज्ञापन के आवेदन बिना दिनांक और बिना पत्रांक के कार्यवाही के लिए चला दिये जाते हैं। *(संलग्नक–16)* बिना आवेदन पत्र के, केवल फोन की सूचना पर पत्रावली तैयार कर ली जाती है। माननीय महोदय, यदि ऐसा हो सकता है मेरे पत्रों से संबंधित कार्यवाही हेतु विभाग बहाने क्यों बनाता है? सूचना अधिकार अधिनियम के आवेदन से संबंधित सूचना देने के लिए लोक सूचना अधिकारी महोदय घुमावदार और भ्रमित करने वाले जवाब क्यों देते हैं?

माननीय महोदय, क्या सूचना विभाग में कार्यवाही ऐसे की जाती है, जिस कार्यवाही का प्रार्थी को ही पता न चले? क्या सूचना अधिकार अधिनियम की शाखा में ऐसे पत्र–व्यवहार किया जाता है कि प्रार्थी को स्वयं से संबंधित सूचना प्राप्त करने में 6 माह लग जायें। क्या पत्रों, विज्ञापन आवेदनों और सूअअ आवेदनों के बारे में महानिदेशक महोदय को पता ही नहीं होता? क्या उनको यह भी नहीं पता होता है कि जो पांच पत्र मुझे भेजे गये थे, उन पर आरटीआई, प्रथम अपील और द्वितीय अपील लग गयी है? या उनकी गैर–मौजूदगी होने पर अपर निदेशक महोदय बिना प्रार्थी को सूचित किये, प्रार्थना पत्रों से संबंधित कार्यवाही को निस्तारित कर देते हैं? क्या लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारी महोदय के माध्यम से संबंधित सूचना अधिकार की सूचना महानिदेशक महोदय को दी गयी थी? क्या एल–2 अधिकारी महोदय का कर्तव्य यह है कि 'सीएम पोर्टल की शिकायत पर चार महीने बाद टिप्पणी दे दें और वह टिप्पणी भी बिना सिर–पैर की?' क्या एल–3 अधिकारी महोदय का यह कर्तव्य है कि सीएम पोर्टल की 2 फाईलों को 6 माह तक डिमाण्ड पर रख दें और वेब पर प्रश्नगत तथा असंगत टिप्पणी करें?

द्वितीय अपील के आधार–

01. **धारा 2(एफ) एवं 2(जे) का उल्लंघन –** अपीलकर्ता द्वारा स्पष्ट रूप से अभिलेखों/दस्तावेजों की मांग की गई थी, किन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने के स्थान पर केवल व्याख्यात्मक, अस्पष्ट, असंगत और भ्रामक उत्तर दिया गया।
02. **पारदर्शिता के सिद्धांत का उल्लंघन (धारा 4–1–सी) का उल्लंघन –** प्रशासनिक निर्णयों एवं कार्यवाही की पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं की गई।
03. **धारा 7(1) का उल्लंघन–** निर्धारित समयावधि में सही एवं पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। बल्कि मुलाकात और प्रतिउत्तरों से भ्रमित किया गया है।
04. **धारा 5(4) का उल्लंघन –** यदि लोक सूचना अधिकारी अपने कर्तव्यों के समुचित निर्वहन के लिए किसी अन्य अधिकारी की सहायता ले सकता है। लेकिन संबंधित मामले कोई स्पष्टता नहीं, कोई सूचना नहीं, अतः कार्य को भ्रमित करके लम्बित किया गया।
05. **धारा 19(1) के आदेश की अवहेलना –** माननीय प्रथम अपीलीय अधिकारी के स्पष्ट आदेश के बावजूद सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई, जो कि आदेश की जानबूझकर अवहेलना (wilful disobedience) है, जिसमें भ्रामक उत्तरों का समावेश है।

...क्रमशः पृष्ठ 7

सूअअ से संबंधित मांग और उत्तरों की स्पष्टता–

01. आवेदित सूचना के बिंदुओं से संबंधित सभी पत्रों और संलग्नकों की छायाप्रतियां उपलब्ध न कराये जाने के कारण को लिखित रूप में स्पष्ट करें। सभी बिंदुओं से संबंधित पत्र, संलग्नक एवं संबंधित कार्यवाही का लिखित रूप में विवरण उपलब्ध करायें।

02. आवेदित सूचना के बिंदु संख्या 01 में संबंधित नियम की मांग की गयी है, न कि नियमावली की नहीं। कृपया संबंधित नियम की छायाप्रति दें अथवा नियम संख्या और पृष्ठ संख्या की सूचना लिखित रूप में स्पष्ट करें।

03. आवेदित सूचना के बिंदु संख्या 01 में एक ही स्वामी की दो गैर–सूचीबद्ध पत्रिकाओं को निजी दर पर विज्ञापन देने से संबंधित नियम की छायाप्रति दें। गैर–सूचीबद्ध पत्रिकाओं का विज्ञापन का आवेदन न होने, रेट कार्ड न होने के बाद भी विज्ञापन देने और विज्ञापन दर/राशि का सेटेलमेंट करने से संबंधित नियम संख्या और पृष्ठ संख्या की सूचना लिखित रूप में स्पष्ट करें।

04. आवेदित सूचना के बिंदु संख्या 02 में, समाचार पत्र का पंजीयन प्रमाण पत्र (RNI Certificate) न होने और विज्ञापन के लिए सूचीबद्ध भी न होने के बाद भी विज्ञापन दिया गया है। संबंधित नियम संख्या और पृष्ठ संख्या की सूचना लिखित रूप में स्पष्ट करें।

05. आवेदित सूचना के चौथे और पांचवे बिंदु में वास्तविक बिंदु, विषय को छोड़कर केवल उसकी व्याख्या को बिंदु बनाने और संबंधित उत्तरों में परिवर्तन के कारण को लिखित रूप में स्पष्ट करें। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की संबंधित धारा भी लिखित रूप में स्पष्ट करें।

06. बिंदु संख्या 05 में लोक सूचना अधिकारी महोदय के अनुसार, **'कार्यवाही विवरण संबंधित सूचना सीएम पोर्टल से उपलब्ध करा दी है'** और इसी सूचना के लिए एल–2 अधिकारी महोदय के अनुसार, **'सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से संबंधित सूचना उपलब्ध करा दी गयी है।'** इन घुमावदार उत्तरों के संबंध में लिखित रूप में स्पष्ट करें कि–

06.01– मेरे द्वारा संबंधित पत्र और संबंधित सूअअ आवेदन में किस पत्र की सूचना मांगी गयी है, लिखित रूप में स्पष्ट करें और संबंधित पत्र उपलब्ध करायें।

06.02– लोक सूचना अधिकारी महोदय 'सीएम पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई गयी सूचना' को लिखित रूप में स्पष्ट करें। संबंधित दस्तावेज भी उपलब्ध करायें।

06.03– एल–2 अधिकारी महोदय 'सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से उपलब्ध कराई गयी सूचना' को लिखित रूप में स्पष्ट करें। संबंधित दस्तावेज भी उपलब्ध करायें।

07. प्रथम अपीलीय अधिकारी महोदय के द्वारा संबंधित पत्रों में पत्रांक न होने की बात में उलझाकर निशुल्क प्राप्त होने वाली सूचना को सशुल्क प्राप्त कराने का आदेश दिया गया। सूचना अधिकार अधिनियम की संबंधित धारा को स्पष्ट करें। संबंधित छायाप्रति/दस्तावेज भी उपलब्ध करायें।

08. लोक सूचना अधिकारी महोदय द्वारा प्रथम अपीलीय आदेश का अनुपालन करने के लिए अपीलार्थी से पत्रों की व्याख्या लिखवाने के कारण एवं संबंधित धारा को लिखित रूप में स्पष्ट करें।

...क्रमशः पृष्ठ 8

माननीय आयोग से विनम्र निवेदन है कि–

01. मेरे द्वारा दिये गये सभी द्वितीय अपील के आधारों पर चर्चा हो एवं संबंधित आदेश उपलब्ध करायें।
02. जिन–जिन बिंदुओं में मुझे अस्पष्टता प्राप्त हुयी और मुझे भ्रमित किया गया, संबंधित अधिकारी उन सभी बिंदुओं में लिखत रूप में स्पष्टता दें।
03. लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाए कि अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई समस्त सूचना, संबंधित अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां, फाइल नोटिंग, रजिस्टर/डायरी क्रमांक एवं कार्यवाही विवरण निर्धारित समय में उपलब्ध कराएं।
04. संबंधित लोक सूचना अधिकारी अथवा संबंधित प्रभाग अधिकारी पर निम्न कारणों से दंड लगाया जाए। क्योंकि जानबूझकर सूचना उपलब्ध न कराना, भ्रामक एवं गलत सूचना प्रदान करना, प्रथम अपील आदेश की अवहेलना करना, संबंधित बिंदुओं और उनके उत्तरों में मनमाफिक परिवर्तन करके गुमराह करने का कार्य इनके द्वारा किया गया है।
03. धारा 19–8 (इ) के अन्तर्गत अपीलकर्ता को हुए शारीरिक, आर्थिक, मानसिक एवं प्रशासनिक कष्ट के लिए उचित क्षतिपूर्ति प्रदान की जाए।

संलग्नक–

संलग्नक 01– 08 अक्टूबर 2025 को भेजा गया पत्र। **संलग्नक 02–** 13 अक्टूबर 2025 को भेजा गया पत्र। **संलग्नक 03–** 24 अक्टूबर 2025 को भेजा गया पत्र। **संलग्नक 04–** 30 अक्टूबर 2025 को भेजा गया पत्र। **संलग्नक 05–** 19 नवम्बर 2025 को भेजा गया पत्र। **संलग्नक 06–** उक्त पांच पत्रों की छायाप्रति और कार्यवाही विवरण से संबंधित आरटीआई आवेदन। **संलग्नक 07–** आरटीआई आवेदन का प्रतिउत्तर। **संलग्नक 08–** धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपीलीय पत्र। **संलग्नक 09–** प्रथम अपील सुनवाई नोटिस से संबंधित पत्र। **संलग्नक 10–** प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश पत्र। **संलग्नक 11–** लोक सूचना अधिकारी द्वारा मांगा गया पत्रों से संबंधित व्याख्या पत्र। **संलग्नक 12–** प्रथम अपील आदेश अनुपालन से संबंधित पत्र। **संलग्नक13–** 'पर्वत जन' पर लगी आरटीआई बिंदु, प्रतिउत्तर और प्रथम अपील अनुपालन पत्र। **संलग्नक 14–** 'बिनसरी को घाम' पर लगी आरटीआई बिंदु और प्रतिउत्तर। **संलग्नक 15–** सीएम पोर्टल कमेंट। **संलग्नक 16–** 'पर्वत जन' बिना पत्रांक और बिना दिनांक का आवेदन।

सूचनार्थ प्रतिलिपि–

1. प्रधानमंत्री, भारत सरकार। (via Mail) **2.** केन्द्रीय लोक सूचना आयोग। (via Mail) **3.** मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार। (via Mail) **4.** मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड सरकार। (via Mail) **5.** प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड सरकार। (via Mail) **6.** महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग। (Photocopy & via Whatsapp) **7.** लोक सूचना अधिकारी, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग। (Photocopy) **8.** प्रेस विज्ञप्ति– प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और वेब मीडिया।

दिनांक : 27 अप्रैल 2026
स्थान : देहरादून

प्रार्थी/अपीलार्थी
27/4/26
(राज शेखर भट्ट)
c\o अनिल कुमार कक्कड़, शिव गिरधर
निकुंज कॉलोनी, नियर नालापानी चौक
देहरादून (मो. 8859969483)

सेवा में,

श्रीमान् बंशीधर तिवारी जी
महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग
देहरादून, (उत्तराखण्ड)

विषय– निजी दर के आवेदन को विभागीय दर में परिवर्तित करने के कारण को जानने के संबंध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन इस प्रकार है कि आपके विभाग की छवि बीते 25 वर्षों साफ और स्वच्छ है। आपके साथ–साथ सभी अन्य अधिकारी–कर्मचारी भी साफ–सुथरी छवि के हैं। जो कि सूचना अधिकार अधिनियम की सूचना का जवाब भी अधूरा/गलत/भ्रमित करने वाला देते हैं। ***(संलग्नक–01–02–03)***

महोदय, आपसे एक सूचना/जानकारी की प्राप्त करना चाहते हैं, आशा है कि आप सही/उचित और नियमानुरूप जानकारी/सूचना/कारण बताकर मार्गदर्शन करेंगे। देहरादून से प्रकाशित दो पत्रिकाओं (एक मासिक और एक पाक्षिक), जो विज्ञापन सूचीबद्ध नहीं है, के संबंध में जानकारी देने का कष्ट करें।

1. पर्वत जन (मासिक पत्रिका)– फरवरी 2024– 10 लाख रूपये, जुलाई 2024– 5 लाख रूपये, अक्टूबर 2024– 5 लाख रूपये, नवम्बर 2024– 5 लाख रूपये, फरवरी 2025– 5 लाख रूपये और मई 2025– 5 लाख रूपये = **कुल 35 लाख रूपये।**

2. हस्तक्षेप (पाक्षिक पत्रिका)– दिसम्बर 2022– 2 लाख रूपये, दिसम्बर 2022– 3 लाख रूपये, फरवरी 2025– 5 लाख रूपये और मई 2025– 5 लाख रूपये = **कुल 15 लाख रूपये।**

जबकि यह दोनों पत्रिकायें एक ही स्वामी 'शिव प्रसाद सेमवाल' की हैं। (संलग्नक–04–05)

महोदय, आपको एक पत्र पहले भी भेजा था, लेकिन अब तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप स्वयं बेहद व्यस्त है, भूल गये होंगे, लेकिन सूचना निदेशालय के साथ–साथ सभी पत्रकारों को आपसे ही आशा है। कृपया याद करें तथा जवाब देने की कृपा करें। **(संलग्नक–06)**

धन्यवाद

दिनांक : 08.10.2025

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत द्वितीय अपील हेतु जमा की जा रही छायाप्रति।

(राज शेखर भट्ट)

c/o अनिल कुमार कक्कड़, शिव गिरधर निकुंज कॉलोनी, नियर नालापानी चौक देहरादून (मो. 8859969483)

8/10/25

संलग्नक–01

सेवा में,

श्रीमान् बंशीधर तिवारी जी
महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग
देहरादून, (उत्तराखण्ड)

विषय— **न्यूज हाईट को पंजीयन प्रमाण पत्र न होने पर भी निजी विज्ञापन जारी करने के कारण को जानने के संबंध में।**

महोदय,

विनम्र निवेदन इस प्रकार है कि आपके विभाग की छवि बीते 25 वर्षों साफ और स्वच्छ है। आपके साथ–साथ सभी अन्य अधिकारी–कर्मचारी भी साफ–सुथरी छवि के हैं। आपके विभाग में विज्ञापन अधिकारियों ने बताया था कि **गैर–सूचीबद्ध समाचार पत्र/पत्रिका को निजी दर पर विज्ञापन दिया जा सकता है, लेकिन पंजीयन प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।**

महोदय, देहरादून (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र **न्यूज हाईट** विभाग में विज्ञापन के लिए सूचीबद्ध नहीं है। सूत्रों के अनुसार इस समाचार पत्र को फरवरी 2023 से दिसम्बर 2024 तक निजी दर पर 21 लाख रूपये के विज्ञापन दिये गये हैं। इस समाचार पत्र को **पहला विज्ञापन फरवरी 2023** में दिया गया है और समाचार पत्र की **पंजीकरण तिथि नवम्बर 2023** है। *(प्रतिलिपि संलग्न)*

महोदय, मेरे द्वारा नियमावली को खूब पढ़ा गया, लेकिन ऐसा नियम मुझे नियमावली में प्राप्त नहीं हुआ है। हो सकता है कि मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया हू, अतः मेरी गलती को सही करने की कृपा करें। कृपया उक्त मामले से संबंधित नियम की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने की कृपा करें। महोदय, हो सके तो इससे पूर्व दो प्रार्थना पत्रों को भी अपने संज्ञान में लायें, उसका प्रति उत्तर दें और हमारा मार्गदर्शन करें। सदैव आपके आभारी रहेंगे।

धन्यवाद

दिनांक : 13.10.2025

सूचना अधिकार अधिनियम 2005
के अंतर्गत द्वितीय अपील हेतु
जमा की जा रही प्रतिलिपि।

(सूरज शेखर भट्ट)
c/o अनिल कुमार कक्कड़, शिव गिरधर
निकुंज कॉलोनी, नियर नालापानी चौक
देहरादून (मो. 8859969483)

13/10/25

संलग्नक-02

RNI. UTTHIN\2013\48109

उक्रांद टाइम्स

साप्ताहिक समाचार पत्र

पत्रांक : UT/Add2025-02 दिनांक : 24-10-2025

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत द्वितीय अपील हेतु जमा की जा रही

सेवा में,

श्रीमान् पुष्कर सिंह धामी जी
माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार
देहरादून (उत्तराखण्ड)

द्वारा– महानिदेशक महोदय, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, देहरादून (उत्तराखण्ड)

विषय– *समाचार पत्र को निजी दर पर विज्ञापन जारी करने के संबंध में।*

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि उत्तराखण्ड सरकार बीते कई वर्षों से राज्य के हित में सराहनीय कार्य कर रही है। हमारे युवा एवं दमदार मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कठिन प्रयासों के चलते हमारी देवभूमि को नई–नई उपलब्धियां प्राप्त हो रही हैं। जिनके अन्तर्गत मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक सुविधाओं को प्राथमिक स्थान पर रखा गया है। उन्होंने युवाओं, महिलाओं, वृद्धों और बाल–विकास के संबंधित अनेक बिंदुओं को अग्रसर रखते हुये कार्य किया है।

साप्ताहिक समाचार पत्र "उक्रांद टाईम्स" एक विशेषांक प्रकाशित करने जा रहा है। महोदय से निवेदन है कि समाचार पत्र को उत्तराखण्ड पर्यटन से संबंधित विज्ञापन विशेषांक हेतु निजी दर पर दो पृष्ठ का विज्ञापन देने की कृपा करें। जिससे कि समाचार पत्र के प्रकाशन को सहयोग प्राप्त हो सके और उत्तराखण्ड पर्यटन का प्रचार–प्रसार हो सके।

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत द्वितीय अपील हेतु जमा की जा रही

धन्यवाद

दिनांक– ~~21.10.2025~~ 24.10.2025

प्रार्थी
[signature]

प्रकाशक/सम्पादक
8859969483
c\o अनिल कुमार कक्कड़, शिव गिरधर निकुंज कॉलोनी, नियर नालापानी चौक
देहरादून (मो. 8859969483)

संलग्न–
1. समाचार पत्र का आरएनआई प्रमाण पत्र।
2. समाचार पत्र का रेट कार्ड।

प्रतिलिपि–
1. मेल के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार।
2. मुख्यमंत्री समधान पोर्टल, विज्ञापन हेतु।

[stamp] 24/10/25

[signature]
प्रकाशक/सम्पादक

संलग्न - 03

सेवा में,

श्रीमान् महानिदेशक महोदय
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग
देहरादून (उत्तराखण्ड)

विषय– 1. सीएम पोर्टल पर की गयी शिकायतों को लम्बित करने एवं वेब पर अपनी टिप्पणी प्रश्नगत न देने के संबंध में।
2. पत्रों के संबंध में न सूचना मिलना और न ही प्रतिउत्तर प्राप्त होने के संबंध में।

संदर्भ– 1. सीएम पोर्टल पर 26 अगस्त 2025 की गयी शिकायत– CMHL-082025-2-828928. *(संलग्न–1)*।
2. सीएम पोर्टल पर 29 अगस्त 2025 की गयी शिकायत– CMHL-082025-2-831518. *(संलग्न–2)*।

महोदय,

विनम्र निवेदन इस प्रकार है कि आपके विभाग की छवि बीते 25 वर्षों साफ और स्वच्छ है। मुझे भी यह कहते हुये गर्व महसूस होता है कि **सूचना विभाग हमारा विभाग है, जो पक्षपात नहीं करता और न ही पत्रों के जवाब देने और कार्यवाही करने में देर करता है।** महोदय, 22 अगस्त 2025 से न मुझे पत्रों से संतुष्टि मिली है और न सूचना अधिकार अधिनियम के प्रतिउत्तरों से, जो अब तक 8 अपीलें दर्ज हैं। महोदय, सीएम पोर्टल से समाधान करने का विभाग का तरीका मुझे उचित नहीं लगा।

महोदय, विभाग से आपको सभी सूचनायें दी जा रही हैं या नहीं, यह बात भी मेरी नजर में संशय में है। मुझे केवल प्रतिउत्तर की आवश्यकता है। **यदि किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को कार्य नहीं करना, शिकायत निस्तारण नहीं करना है तो लिखित तौर पर बता दे, जिससे कि मुझे और अधिकारी दोनों को संतुष्टि मिल जाये।** खैर, महोदय से विनम्र निवेदन है कि सबसे पहले निम्न बातों पर अमल करते हुये संबंधित आदेश करने का कष्ट करें–

1. सीएम पोर्टल पर की गयी शिकायतों को लम्बित करने एवं वेब पर अपनी टिप्पणी प्रश्नगत न देने के संबंध में।

सूचना अधिकार अधिनियम 2005

1. 26 अगस्त 2025 को सीएम पोर्टल पर लगाई गयी पहली शिकायत। **एल–1 अधिकारी** ने तुरंत कार्य किया और फाईल को अग्रसारित कर दिया। **एल–2 अधिकारी** ने 27 अगस्त 2025 से 28 सितम्बर 2025 तक न शिकायत संबंधी कोई कार्य नहीं किया और न ही वेब पर कोई टिप्पणी दी। 1905 में कॉल करने के बाद इस फाईल को एल–3 अधिकारी को हस्तांतरित कर दिया गया। **एल–3 अधिकारी** ने 28 सितम्बर 2025 से 15 अक्टूबर 2025 तक शिकायत का कोई भी संज्ञान नहीं लिया, जबकि कई बार 1905 पर कॉल की गयी थी। 15 अक्टूबर 2025 को **एल–3 अधिकारी** के द्वारा फाईल को डिमाण्ड में रख दिया गया और अब भी वो डिमाण्ड में ही है। जिसमें एल–3 अधिकारी के द्वारा टिप्पणी दी गयी कि **"संबंधित शिकायत के क्रम में अवगत कराना है कि संबंधित द्वारा वर्णित सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत भी मांगी गई है। जिसका अवलोकन करने हेतु सम्बन्धित को सूचित किया गया है।"**

...क्रमशः पृष्ठ 2

संलग्न–04

महोदय, मेरी नजर में यह कामचोरी और फाईल को लम्बित करने के अलावा कुछ नहीं है। सीएम पोर्टल की शिकायत को सूचना अधिकार अधिनियम से जोड़कर खत्म करना, यदि यही कार्यवाही है तो शिकायत करने वाला अर्थात मैं ही बेवकूफ हूं।

2. 29 अगस्त 2025 को सीएम पोर्टल पर लगाई गयी दूसरी शिकायत। **एल–1 अधिकारी** ने तुरंत कार्य किया और फाईल को अग्रसारित कर दिया। **एल–2 अधिकारी** ने 30 अगस्त 2025 से 26 सितम्बर 2025 तक न शिकायत संबंधी कोई कार्य नहीं किया और न ही वेब पर कोई टिप्पणी दी। 1905 में कॉल करने के बाद इस फाईल को एल–3 अधिकारी को हस्तांतरित कर दिया गया। **एल–3 अधिकारी** ने 26 सितम्बर 2025 से 15 अक्टूबर 2025 तक शिकायत का कोई भी संज्ञान नहीं लिया, जबकि कई बार 1905 पर कॉल की गयी थी। 15 अक्टूबर 2025 को **एल–3 अधिकारी** के द्वारा फाईल को डिमाण्ड में रख दिया गया और अब भी वो डिमाण्ड में ही है। जिसमें एल–3 अधिकारी के द्वारा टिप्पणी दी गयी कि **"संबंधित शिकायत के कम में अवगत कराना है कि विभाग द्वारा वर्तमान में प्रचलित 'उत्तराखण्ड प्रिन्ट मीडिया नियमावली 2015' (संशोधित, 2016) निहित व्यवस्था के अनुसार विज्ञापन दिये जा रहे है। नियमावली विभागीय वेबसाइट uttarainformation.gov.in पर उपलब्ध है।"**

महोदय, मेरी नजर में यह भी कामचोरी और फाईल को लम्बित करने दूसरा मामला है। **एल–3 अधिकारी** की इस टिप्पणी को मैं प्रश्नगत उत्तर नहीं मानता हूं, यदि यही उत्तर है तो लिखित रूप में देने के आदेश दें। मेरे द्वारा की गयी शिकायत के अनुसार– **"महोदय से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त विज्ञापन किस नियम के अनुसार दिये गये हैं, उसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवायें। यदि यह विज्ञापन मुख्यमंत्री के आदेश पर दिये गये हैं, तो मुख्यमंत्री के आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायें।"** लेकिन एल–3 अधिकारी का कहना है कि "उत्तराखण्ड प्रिंट मीडिया नियमावली निहित व्यवस्था के अनुसार विज्ञापन दिये गये हैं, नियमावली इस वेबसाईट पर उपलब्ध है।" **सोचने वाली बात यह है महोदय कि "मेरे द्वारा समाधान मांगा गया था या समाधान का तरीका बताने की बात कही गयी थी। मेरे द्वारा नियम की बात की गयी थी या नियमावली की बात की गयी थी।"** महोदय कृपया एल–3 अधिकारी को यह स्पष्ट करने के आदेश दें।

2. पत्रों के संबंध में न सूचना मिलना और न ही प्रतिउत्तर प्राप्त होने के संबंध में।

1. 25 सितम्बर 2025 का पत्र, जिसके अन्तर्गत केवल यह जानने की जिज्ञासा थी कि निजी दर के विज्ञापन की मांग को विभागीय दर पर क्यों निस्तारित किया गया। जबकि जून 2025 में जमा आवेदन, जिसको 30 अगस्त तक लम्बित किया गया। उसके बाद आपसे मिलकर बताया गया, आपके कहने पर अंकित जी को भी अपने समाचार का नाम भी लिखवाया और यह भी बताया कि यह निजी दर पर विज्ञापन की मांग है। फलस्वरूप, आवेदन पर कार्यवाही हुयी और 22 सितम्बर 2025 को विभागीय दर पर विज्ञापन जारी किया गया। अब तक कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। *(संलग्न–3)*

2. 08 अक्टूबर 2025 का पत्र, जिसके अन्तर्गत उपरोक्त 25 सितम्बर 2025 के पत्र का उत्तर प्राप्त न होने की बात कही गयी है। इसी पत्र में मासिक पत्रिका **पर्वत जन** और पाक्षिक पत्रिका **हस्तक्षेप** को

...क्रमशः पृष्ठ 3

लगातार निजी दर पर विज्ञापन देने से संबंधित नियम या आदेश के बारे में पूछा गया है, जबकि दोनों पत्रिकायें एक ही स्वामी के नाम पर हैं और दोनों **विज्ञापन के लिए सूचीबद्ध नहीं** हैं। अब तक कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। *(संलग्न–4)*

3. 13 अक्टूबर 2025 का पत्र, जिसके अन्तर्गत न्यूज हाईट समाचार पत्र के बारे में पूछा गया था कि "जिस समाचार पत्र का **पंजीकरण नवम्बर 2023** में हुआ और इस पत्र को निजी दर पर विज्ञापन **फरवरी 2023** में दिया गया है, संबंधित नियम उपलब्ध करायें। इसी पत्र में उपरोक्त दो पत्रों की याद भी दिलाई गयी थी, लेकिन अब तक कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। *(संलग्न–5)*

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत द्वितीय अपील हेतु जमा की जा रही छायाप्रति।

महोदय, अधिकतर पत्रकारों से, सूचना एवं एमडीडीए में अधिकतर अधिकारी–कर्मचारियों से आपके व्यवहार की तारीफ ही सुनी है। आपकी कार्यप्रणाली और कार्य कुशलता की अच्छी बातें ही सामने आई हैं। महोदय, अब तक मेरे द्वारा उठाये गये सारे प्रकरणों में जरूरी नहीं है कि आपकी ही गलती हो। लेकिन विभाग में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, यह तो आपके संज्ञान में होना चाहिए। यदि यह सभी कार्य अथवा कोई अन्य कार्य भी आपकी अनुमति के बगैर हो रहा है या हो चुका है तो उसकी जानकारी लें और हमारे विभाग को बदनाम होने से बचायें। महोदय, मैं भी अपनी जांच/कार्यवाही को इतना लम्बा खीचना नहीं चाहता हूं, जिससे कि हमारा वह विभाग पिसे, जिस पर हमको गर्व है। अतः कृपया उक्त सीएम पोर्टल से संबंधित दो शिकायतों और उपरोक्त 3 पत्रों के संबंध में जानकारी लें तथा कार्यवाही होने लायक हों तो अधिकारियों/कर्मचारियों को आदेशित करने का कष्ट करें।

महोदय, इस पत्र या उपरोक्त सभी पत्रों से संबंधित यदि मुझे प्रतिउत्तर प्राप्त होता है तो मुझे आपसे मुलाकात करने का भी समय चाहिए। जिससे कि मैं अपने ही विभाग के खिलाफ न जाउं और कुछ अन्य मामलों के संबंध में दस्तावेज आपको दिखाउं, जो कि गलत है और जिनमें सुधार की आवश्यकता है।

धन्यवाद

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत द्वितीय अपील हेतु जमा की जा रही छायाप्रति।

दिनांक : 30.10.2025

(राज शेखर भट्ट)
C\O अनिल कुमार कक्कड़, शिव गिरधर
निकुंज कॉलोनी, नियर नालापानी चौक
देहरादून (मो. 8859969483)

प्रार्थना पत्र (सूचनार्थ)

सेवा में,

श्रीमान् महानिदेशक महोदय
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग
देहरादून (उत्तराखण्ड)

विषय— महानिदेशक महोदय को पूर्व में भेजे गये सभी पत्रों के संबंध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन इस प्रकार है कि आपके विभाग की छवि बीते 25 वर्षों साफ और स्वच्छ है। मुझे भी यह कहते हुये गर्व महसूस होता है कि सूचना विभाग हम पत्रकारों का भी विभाग है, जो पक्षपात नहीं करता और न ही पत्रों के जवाब देने और कार्यवाही करने में देर करता है। महोदय, 22 अगस्त 2025 से अब 22 नवम्बर आने को है, लेकिन तब से अब तक विभाग की व्यवस्था को मैं समझ नहीं पाया हूं। महोदय, यदि मेरे द्वारा प्रकाशित किये गये समाचारों, मांगे गये सूचना अधिकारों और आपको भेजे गये सभी प्रार्थना पत्रों से आपको नाराजगी है, तो वह भी आप बता सकते हैं और नियमानुसार मुझे सजा भी दे सकते हैं।

महोदय, **मैं पहले ही साफ तौर पर बता दूं कि सूचना विभाग के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी से मेरी निजी लड़ाई न कभी थी, न है और न ही कभी होगी। मैं केवल विभाग की व्यवस्था पर सवाल उठा रहा हूं और व्यवस्था को समझने की कोशिश कर रहा हूं।** इसी संबंध में मेरे द्वारा आपको प्रार्थना पत्र भी भेजे जा रहे हैं, लेकिन वह आपको प्राप्त हो रहे हैं या नहीं, यह बात अभी संशय में है। क्योंकि यदि पत्र ही आपके पास नहीं पहुंच रहे हैं, तो आगे की कार्यवाही तो पहले ही शून्य मानी जायेगी। महोदय, यदि पत्र आपके पास पहुंच रहे हैं और उस पर कोई कार्यवाही न हो तो सीधा मतलब है कि आपकी नाराजगी कार्यवाही से ऊपर है, या आप अन्य कार्यों में व्यस्त है। महोदय, आपको दुबारा क्रमानुसार बता दूं कि मेरे द्वारा भेजे गये पत्र निम्न हैं—

01. **01 सितम्बर 2025** — पत्र प्राप्ति के बाद आपने बुलाया और आपसे मुलाकात भी हुयी। इस पर कार्यवाही हुयी थी और निजी दर पर मांगे गये विज्ञापन को विभागीय दर पर दिया गया था।
02. **25 सितम्बर 2025** — निजी दर पर मांगे गये विज्ञापन को विभागीय दर पर दिया गया था। यह पत्र उसका कारण जानने से संबंधित था, जिसका प्रतिउत्तर अब तक प्राप्त नहीं हुआ। यह पत्र आपको प्राप्त हुआ या नहीं, पता नहीं।
03. **08 अक्टूबर 2025** — जिसका प्रतिउत्तर अब तक प्राप्त नहीं हुआ। इस पत्र के साथ 6 संलग्नक भी हैं, यह पत्र भी आपको प्राप्त हुआ या नहीं, पता नहीं।
04. **13 अक्टूबर 2025** — जिसका प्रतिउत्तर अब तक प्राप्त नहीं हुआ। इस पत्र के साथ 1 संलग्नक भी है, यह पत्र भी आपको प्राप्त हुआ या नहीं, पता नहीं।
05. **24 अक्टूबर 2025** — यह पत्र निजी दर पर विज्ञापन के लिए दिया गया है, जिसके साथ आरएनआई प्रमाण पत्र और कमर्सियल रेट कार्ड भी संलग्न है। जिसका प्रतिउत्तर अब तक प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि व्यवस्था ने मुझे पहले ही बता दिया है कि 3 माह के बाद ही यह कार्य होगा। जबकि बड़े पत्रकारों के विज्ञापन आवेदन और विज्ञापन आरओ दोनों की तिथि एक ही रहती है।
06. **30 अक्टूबर 2025** — जिसका प्रतिउत्तर अब तक प्राप्त नहीं हुआ। इस पत्र के साथ 5 संलग्नक भी हैं, यह पत्र भी आपको प्राप्त हुआ या नहीं, पता नहीं।
07. **15 नवम्बर 2025** — यह पत्र सूचनार्थ दिया गया था, अतः इस कार्यवाही की आवश्यकता नहीं। यह पत्र भी आपको प्राप्त हुआ या नहीं, पता नहीं।

संलग्न -05

महोदय, यदि मेरी आकांक्षा केवल विज्ञापन की होती अथवा केवल आपसे मिलना ही मेरा लक्ष्य होता तो आपसे मिलने के लिए मैं बिना सूचित किये भी आ सकता हूं। लेकिन जब कार्यवाही कागजी तौर पर चल रही हो तो आपसे मिलने का समय भी लूंगा और आपकी स्वीकृति के बाद ही आपसे मिलकर बात करूंगा। **आपकी छवि मेरी नजर में एक उम्दा और सभी के हित में कार्य करने वाले अच्छे महानिदेशक की है. आपकी व्यस्तता का भी मुझे पता है, लेकिन मेरे पत्र आपको मिले हों और आप ही नहीं मिलना चाहते हों तो बात और है, लेकिन आपको मेरे पत्र ही प्राप्त नहीं हुये तो यह तो यह विभाग की व्यवस्था पर तीखा सवाल है।**

महोदय, मैं किसी के खिलाफ जाना चाहता हूं। मेरी लड़ाई केवल उस व्यवस्था से है, जिस व्यवस्था में मुझे पक्षपात की भावना नजर आई और बीते कई वर्षों से परेशानी हुयी है। इसीलिए लिए मैंने विभाग को और विभाग की व्यवस्था को जानना चाहा तथा सूचना अधिकार अधिनियम का सहारा लिया। फलस्वरूप, मुझे सूचना विभाग के एक प्रभाग/अनुभाग 'प्रिंट मीडिया' से संबंधित अनेक बिंदुओं का पता चला, जो कि 15 नवम्बर 2025 को भेजे गये पत्र में उल्लिखित है। यदि मेरे द्वारा भेजे गये सभी पत्र आपके संज्ञान में हैं और आपके द्वारा ही प्रतिउत्तर नहीं भेजे जा रहे हैं, तो अब मैं भी इस संदर्भ में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुख्य व्यवस्थापक/व्यवस्थाधिकारी आप ही हैं। वहीं दूसरी ओर यदि मेरे द्वारा भेजे गये पत्र आपके संज्ञान में नहीं हैं, आप तक पहुंच ही नहीं पाये हैं तो यह सीधा–सीधा विभाग की ठप्प और लचर व्यवस्था को दर्शाता है। सूचना विभाग के अन्य प्रभाग/अनुभाग में व्यवस्था का हाल क्या है, यह भी जानने–समझने की आवश्यकता पड़ी है तो संबंधित कदम उठाने के लिए भी मैं तत्पर रहूंगा। क्योंकि मेरे अलावा कई लोग और भी होंगे, जो प्रिंट मीडिया, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब मीडिया, लघु फिल्म, समिति, संस्कृति, यूनियन, मान्यता, सूचीबद्धता इत्यादि अनेक चीजों से संबंध रखते होंगे। हो सकता है कि उनकी आवाज, उनके पत्र, उनकी समस्या, उनकी परेशानी आप तक पहुंच नहीं पा रही हो।

महोदय, अब केवल समस्या इतनी सी है कि मेरे द्वारा आपको भेजे जा रहे पत्र आपको प्राप्त हो रहे हैं या नहीं? अगर प्राप्त हो रहे हैं तो महोदय आपके स्तर से प्रतिउत्तर क्यों नहीं आ रहे हैं। मैं अपने पत्रों की स्थिति और कार्यवाही का विवरण जानने के लिए सूचना अधिकार अधिनियम का सहारा नहीं लेना चाहता हूं। क्योंकि किसी विभाग में पत्र भेजो और पत्र पर हुयी कार्यवाही को जानने के लिए सूचना अधिकार अधिनियम का प्रयोग करो। महोदय, मेरी नजर में यह प्रार्थी, विभाग और सरकार के लिए के लिए शरम की होगी।

नोट– इस पत्र में उपरोक्त सभी बातों के अन्तर्गत मैं किसी भी अधिकारी–कर्मचारी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। बस संदेह है कि महानिदेशक महोदय ही पत्रों का प्रतिउत्तर नहीं दे रहे हैं या पत्र उनके पास नहीं पहुंच रहे हैं।

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत द्वितीय अपील हेतु जमा की जा रही छायाप्रति।

धन्यवाद

दिनांक : 19.11.2025

(राज शेखर भट्ट)
C\O अनिल कुमार कक्कड़, शिव गिरधर
निकुंज कॉलोनी, नियर नालापानी चौक
देहरादून (मो. 8859969483)

REGISTERED COMPLAINT

Add Comment

Complaint Term	Complaint (शिकायत)
Department	सूचना एवं लोक संपर्क विभाग
Sub Department	सूचना एवं लोक संपर्क विभाग
Attributes	आवेदन सम्बन्धी
District	देहरादून
Block	देहरादून
Complaint Source	Portal
Complaint Date	19-Nov-2025
Assigned Date	19-Nov-2025
Assigned Officer	श्री कलम सिंह चौहान - L2
Complaint Summary	एल-1 तथा एल-2 अधिकारी से विनम्र निवेदन है कि यह प्रार्थना पत्र महानिदेशक महोदय के नाम पर है और उन्हीं से संबंधित है। अतः प्रार्थी के ऊपर इतना दयाभाव जरूर करें कि महानिदेशक महोदय को पत्र पहुंच जाये। साधारण तरीके से बहुत पत्र भेजे जा चुके हैं। लेकिन अब तक पता नहीं चल पाया है कि वह पत्र महानिदेशक महोदय तक पहुंच पाये हैं अथवा किसी अन्य अधिकारी ने अपने स्तर पर ही बिना कार्यवाही के उनको निस्तारित कर दिया है। क्योंकि इस विभाग में काम हुआ है या नहीं हुआ है, इसका प्रतिउत्तर या सूचना देने का रिवाज नहीं है। धन्यवाद
Complaint Current Status	Assigned
Complaint Last Updated On	26-Nov-2025 02:50 pm

CALLER DETAILS

Full Name	Raj Shekhar `Bhatt
Gender	Male
Email	rajshekharbhatt@gmail.com
Address	83/1, bakralwala
District	देहरादून
City	Bakralwala
Block	रायपुर
Pincode	248001

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत द्वितीय अपील हेतु जमा की जा रही छायाप्रति।

COMPLAINT ATTACHMENTS -

application_19112025.pdf

Comment Date	Comment By	Comment	Attachment
26-Nov-2025 02:50 pm	**Raj Shekhar `Bhatt (Caller)**	एल2 अधिकारी महोदय से निवेदन है कि इस प्रार्थना पत्रशिकायत में इतना समय लगने से संबंधित कार्य नहीं है कि 7 दिन 15 दिन या 1 महीने का समय लगेगा। जैसा कि आपके द्वारा पिछली दो शिकायतों में एक माह तक कोई भी प्रतिउत्तर नहीं दिया गया न वेब पर कमेंट किया न किसी अन्य अधिकारी को शिकायत अग्रसारित की और न ही कोई कार्यवाही की। जिन दोनों शिकायतों को एल3 अधिकारी ने अब तक डिमाण्ड पर रखा हुआ है। सीएम और सीएम पोर्टल बनाने का औचित्य क्या रह जाता है जब अधिकारी संज्ञान ही न ले।	
19-Nov-2025 04:08 pm	**BADRI CHAND *(Officer)***	Complaint/Reference sent to other Level. - महोदय, शिकायतकर्ता की शिकायत निस्तारण हेतु अग्रसारित।	

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत द्वितीय अपील हेतु जमा की जा रही छायाप्रति।

सूचना अधिकार अधिनियम 2005

RTI-16

- 483/222/2025
- 16/प्र-01
- 38/2025

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग
देहरादून (उत्तराखण्ड)

विषय– सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने के संबंध में।

महोदय,

सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की व्यवस्था में मनमर्जी की व्यवस्था है, इस बात की पुष्टि तो पहले ही हो चुकी है। लेकिन अधिकारी–कर्मचारी नियमानुसार कितना कार्यवाही कर रहे हैं और कितना अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन रहे हैं, इसको जानना और समझना बेहद जरूरी हो गया है। **हो सकता है कि यह भी विभाग के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो कि "प्रार्थी स्वयं के प्रार्थना पत्रों/आवेदनों की कार्यवाही को जानने हेतु सूचना अधिकार अधिनियम का प्रयोग कर रहा हो।** क्योंकि 4 सितम्बर 2025 को यह बात सामने आई थी कि प्रार्थना पत्र और आवेदन कहां है, इसका पता विभाग को ही नहीं होता। क्योंकि, यह तो पुराना रिवाज है कि प्रार्थी को संबंधित कार्यवाही होने अथवा न होने से संबंधित प्रतिउत्तर नहीं देना है।

महोदय, मेरे द्वारा 08 अक्टूबर 2025 से 19 नवम्बर 2025 तक महानिदेशक महोदय को पांच अलग–अलग पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं। विभाग द्वारा अब तक न तो कोई संबंधित सूचना दी गई है, न महानिदेशक महोदय ने मुलाकात करना उचित समझा और न ही विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की कोई सूचना प्रदान की गई। **अतः कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाएँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें–**

01. मेरे द्वारा **08 अक्टूबर 2025** को महानिदेशक महोदय को पत्र भेजा गया था। संबंधित पत्र की संलग्नकों के साथ सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायें। 08 अक्टूबर 2025 से **इस आवेदन का प्रतिउत्तर देने की तिथि तक** संबंधित पत्र पर हुयी कार्यवाही का लिखित विवरण प्रस्तुत करें।

02. मेरे द्वारा **13 अक्टूबर 2025** को महानिदेशक महोदय को पत्र भेजा गया था। संबंधित पत्र की संलग्नकों के साथ सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायें। 13 अक्टूबर 2025 से **इस आवेदन का प्रतिउत्तर देने की तिथि तक** संबंधित पत्र पर हुयी कार्यवाही का लिखित विवरण प्रस्तुत करें।

03. मेरे द्वारा **24 अक्टूबर 2025** को महानिदेशक महोदय को पत्र भेजा गया था, जो कि विज्ञापन से संबंधित है। संबंधित पत्र की संलग्नकों के साथ सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायें। 24 अक्टूबर 2025 से **इस आवेदन का प्रतिउत्तर देने की तिथि तक** संबंधित पत्र पर हुयी कार्यवाही का लिखित विवरण प्रस्तुत करें।

04. मेरे द्वारा **30 अक्टूबर 2025** को महानिदेशक महोदय को पत्र भेजा गया था। संबंधित पत्र की संलग्नकों के साथ सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायें। 30 अक्टूबर 2025 से **इस आवेदन का प्रतिउत्तर देने की तिथि तक** संबंधित पत्र पर हुयी कार्यवाही का लिखित विवरण प्रस्तुत करें।

05. मेरे द्वारा **19 नवम्बर 2025** को सीएम पोर्टल के माध्यम से महानिदेशक महोदय को पत्र भेजा गया था। जिसकी कार्यवाही अभी एल–2 अधिकारी "कलम सिंह चौहान" देख रहे हैं। संबंधित पत्र की संलग्नकों के साथ सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायें। 19 नवम्बर 2025 से **इस आवेदन का प्रतिउत्तर देने की तिथि तक** संबंधित पत्र पर हुयी कार्यवाही का लिखित विवरण प्रस्तुत करें।

दिनांक : 26.11.2025
संलग्न– पोस्टल आर्डर संख्या **72F 758120** है,
जिसका मूल्य दस रूपये है।

26/11/25

(राज शेखर भट्ट)
c/o अनिल कुमार कक्कड़, शिव गिरधर
निकुंज कॉलोनी, नियर नालापानी चौक
देहरादून (मो. 8859969483)

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून

21/11/25

संलग्न -06

पंजीकृत

RIGHT TO INFORMATION

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, रिंग रोड, लाडपुर, निकट–वाणिज्य कर भवन, देहरादून–248006
E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांक : 483 / सू.एवं.लो.स.वि.(सूचना अधिकार)–222 / 2025, दिनांक 16 दिसम्बर, 2025

सेवा में,

श्री राजशेखर भटट,
शिव गिरधर निकुंज कॉलोनी,
देहरादून।

विषयः–सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना प्रेषित।

महोदय,

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अर्न्तगत प्रस्तुत अपने आवेदन पत्र, दिनांक 26.11.2025, जो इस कार्यालय में दिनांक 27.11.2025 को प्राप्त हुआ है, का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

उक्त पत्र के माध्यम से मांगी गयी सूचना के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् है:–

बिन्दु संख्या	आवेदित सूचना (मूल आवेदन पत्र)	प्रति उत्तर
1.	मेरे द्वारा 08 अक्टूबर 2025 को महानिदेशक महोदय को पत्र भेजा गया था संबधित पत्र की संलग्नकों के साथ सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायें। 08 अक्टूबर 2025 से इस आवेदन का प्रतिउत्तर देने की तिथि तक संबंधित पत्र पर हुयी कार्यवाही का लिखित विवरण प्रस्तुत करें।	बिन्दु संख्या 01 से 05 तक अस्पष्ट हैं। अतः अनुमान के आधार पर सूचना उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।
2.	मेरे द्वारा 08 अक्टूबर 2025 को महानिदेशक महोदय को पत्र भेजा गया था संबधित पत्र की संलग्नकों के साथ सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायें। 13 अक्टूबर 2025 से इस आवेदन का प्रतिउत्तर देने की तिथि तक संबंधित पत्र पर हुयी कार्यवाही का लिखित विवरण प्रस्तुत करें।	
3.	मेरे द्वारा 24 अक्टूबर 2025 को महानिदेशक महोदय को पत्र भेजा गया था संबधित पत्र की संलग्नकों के साथ सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायें। 24 अक्टूबर 2025 से इस आवेदन का प्रतिउत्तर देने की तिथि तक संबंधित पत्र पर हुयी कार्यवाही का लिखित विवरण प्रस्तुत करें।	
4.	मेरे द्वारा 30 अक्टूबर 2025 को महानिदेशक महोदय को पत्र भेजा गया था संबधित पत्र की संलग्नकों के साथ सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायें। 30 अक्टूबर 2025 से इस आवेदन का प्रतिउत्तर देने की तिथि तक संबंधित पत्र पर हुयी कार्यवाही का लिखित विवरण प्रस्तुत करें।	
5	मेरे द्वारा 19 नवम्बर 2025 को सीएम पोर्टल के माध्यम से महानिदेशक महोदय को पत्र भेजा था जिसकी कार्यवाही अभी एल–2 कलम सिंह चौहान देख रहे है संबंधित पत्र की संलग्नकों के साथ सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराये 19 नवम्बर 2025 से इस आवेदन का प्रतिउत्तर देने की तिथि तक संबंधित पत्र पर हुयी कार्यवाही का लिखित विवरण प्रस्तुत करें।	

इस पत्र के अन्तर्गत दी गयी जानकारी से यदि आप असंतुष्ट हो तो, पत्र प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में विभाग के अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। विभागीय अपीलीय अधिकारी का नाम / पता निम्नवत् है:–

श्री के. एस. चौहान,
संयुक्त निदेशक / अपीलीय अधिकारी,
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,उत्तराखण्ड,
लाडपुर, रिंग रोड़,देहरादून–248006
फोन नं.– 0135–2662971

भवदीय,

(एल. पी. भट्ट)
लोक सूचना अधिकारी / सहायक निदेशक

संलग्न – 07

सूचना अधिकार अधिनियम 2005

पत्रांक संख्या : सूएवंलोसंवि/आरटीआई–16/प्रअ–01 दिनांक : 22.12.2025

सेवा में,

श्रीमान् प्रथम अपीलीय अधिकारी
सूचना एवं लोक संपर्क विभाग
देहरादून (उत्तराखण्ड)

विषय– मांगी गई सूचना के संबंध में भ्रमित करने वाला प्रतिउत्तर देने संबंध में।

महोदय,

प्रार्थी द्वारा दिनांक 26 नवम्बर 2025 को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जो विभाग को 27 नवम्बर 2025 को प्राप्त हुआ। आवेदित सूचना के अन्तर्गत पांच बिंदुओं के संबंध में पर स्पष्ट एवं प्रमाणित सूचनाएं मांगी गई थीं हैं, परन्तु विभाग/लोक सूचना अधिकारी द्वारा सीधा–सीधा भ्रमित करने वाला प्रतिउत्तर दिया गया है कि **"बिंदु संख्या 01 से 05 तक अस्पष्ट हैं। अतः अनुमान के आधार पर सूचना उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।"** जबकि बिंदुओं में अस्पष्टता से संबंधित कोई भी ऐसी बात नहीं है कि अधिकारियों को अथवा आम जनमानस को समझने में कोई भी कठिनाई हो। आवेदन में पूछे गये पांच बिंदु निम्नलिखित हैं, जबकि विभाग/लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिये गये संलग्न प्रतिउत्तर में बिंदु संख्या 02 गलत प्रकाशित किया गया है–

01. मेरे द्वारा 08 अक्टूबर 2025 को महानिदेशक महोदय को पत्र भेजा गया था। संबंधित पत्र की संलग्नकों के साथ सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायें। 08 अक्टूबर 2025 से इस आवेदन का प्रतिउत्तर देने की तिथि तक संबंधित पत्र पर हुयी कार्यवाही का लिखित विवरण प्रस्तुत करें।
02. मेरे द्वारा 13 अक्टूबर 2025 को महानिदेशक महोदय को पत्र भेजा गया था। संबंधित पत्र की संलग्नकों के साथ सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायें। 13 अक्टूबर 2025 से इस आवेदन का प्रतिउत्तर देने की तिथि तक संबंधित पत्र पर हुयी कार्यवाही का लिखित विवरण प्रस्तुत करें।
03. मेरे द्वारा 24 अक्टूबर 2025 को महानिदेशक महोदय को पत्र भेजा गया था, जो कि विज्ञापन से संबंधित है। संबंधित पत्र की संलग्नकों के साथ सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायें। 24 अक्टूबर 2025 से इस आवेदन का प्रतिउत्तर देने की तिथि तक संबंधित पत्र पर हुयी कार्यवाही का लिखित विवरण प्रस्तुत करें।
04. मेरे द्वारा 30 अक्टूबर 2025 को महानिदेशक महोदय को पत्र भेजा गया था। संबंधित पत्र की संलग्नकों के साथ सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायें। 30 अक्टूबर 2025 से इस आवेदन का प्रतिउत्तर देने की तिथि तक संबंधित पत्र पर हुयी कार्यवाही का लिखित विवरण प्रस्तुत करें।
05. मेरे द्वारा 19 नवम्बर 2025 को सीएम पोर्टल के माध्यम से महानिदेशक महोदय को पत्र भेजा गया था। जिसकी कार्यवाही अभी एल–2 अधिकारी "कलम सिंह चौहान" देख रहे हैं। संबंधित पत्र की संलग्नकों के साथ सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायें। 19 नवम्बर 2025 से इस आवेदन का प्रतिउत्तर देने की तिथि तक संबंधित पत्र पर हुयी कार्यवाही का लिखित विवरण प्रस्तुत करें।

महोदय, उक्त बिंदुओं में तिथियों का उल्लेख भी है, क्या प्रार्थी ने उक्त तिथियों को 1 से ज्यादा पत्र विभाग में जमा किये थे, जो विभाग को पत्र ही नहीं प्राप्त हो रहे हैं। सभी पत्रों में यह भी दर्शाया गया है कि पत्र किस अधिकारी से संबंधित है, तो अस्पष्टता की बात करना को भ्रमित करने वाला जवाब ही कहा जायेगा। यदि विभाग के अधिकारियों अथवा लोक सूचना अधिकारी जी को यह उपरोक्त बिंदु अस्पष्ट लगते हैं और अनुमान (जिसकी बात

क्रमशः पृष्ठ 2

संलग्न–08

22/12/25

22/12/25

न मेरे द्वारा की गयी है और न ही अधिनियम अनुमान को मानता है) के आधार पर सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है, तो उपरोक्त पांच बिंदुओं को नये, स्पष्ट और सरल तरीके से पढ़ें और उपलब्ध कराने के आदेश दें–

01. मेरे द्वारा 08 अक्टूबर 2025 को महानिदेशक महोदय को पत्र भेजा गया था, अतः–
1.1– उक्त पत्र की संलग्नकों के साथ सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
1.2– उक्त पत्र पर इस आवेदन का प्रतिउत्तर देने की तिथि (16.12.2025) तक हुयी विभागीय कार्यवाही का लिखित विवरण प्रस्तुत करें।

02. मेरे द्वारा 13 अक्टूबर 2025 को महानिदेशक महोदय को पत्र भेजा गया था। अतः–
2.1– उक्त पत्र की संलग्नकों के साथ सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
2.2– उक्त पत्र पर इस आवेदन का प्रतिउत्तर देने की तिथि (16.12.2025) तक हुयी विभागीय कार्यवाही का लिखित विवरण प्रस्तुत करें।

03. मेरे द्वारा 24 अक्टूबर 2025 को महानिदेशक महोदय को पत्र भेजा गया था, अतः–
3.1– उक्त पत्र की संलग्नकों के साथ सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
3.2– उक्त पत्र पर इस आवेदन का प्रतिउत्तर देने की तिथि (16.12.2025) तक हुयी विभागीय कार्यवाही का लिखित विवरण प्रस्तुत करें।

04. मेरे द्वारा 30 अक्टूबर 2025 को महानिदेशक महोदय को पत्र भेजा गया था, अतः–
4.1– उक्त पत्र की संलग्नकों के साथ सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
4.2– उक्त पत्र पर इस आवेदन का प्रतिउत्तर देने की तिथि (16.12.2025) तक हुयी विभागीय कार्यवाही का लिखित विवरण प्रस्तुत करें।

05. मेरे द्वारा 19 नवम्बर 2025 को सीएम पोर्टल के माध्यम से महानिदेशक महोदय को पत्र भेजा गया था, अतः–
5.1– उक्त पत्र की संलग्नकों के साथ सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
5.2– एल–2 अधिकारी द्वारा उक्त पत्र पर इस आवेदन का प्रतिउत्तर देने की तिथि (16.12.2025) तक की गयी कार्यवाही का लिखित विवरण प्रस्तुत करें।

अपील के मुख्य आधार निम्नलिखित हैं–

01. **मेरे द्वारा प्रत्येक बिंदु में स्पष्ट रूप से पत्र जमा करने की तिथि, पत्र से संबंधित अधिकारी का नाम भी लिखा गया है। अंततः पत्र से संबंधित कार्यवाही का विवरण मांगा गया था, जो किसी भी प्रकार से असंपूर्ण या अनुमान आधारित नहीं है।**
02. यदि किसी बिंदु में सूचना उपलब्ध नहीं थी, तो लोक सूचना अधिकारी महोदय का यह दायित्व था कि वह अधिनियम के अनुसार स्पष्ट रूप से **"सूचना उपलब्ध नहीं है"** लिखित रूप में प्रमाणित कर सकते थे, न कि सामूहिक रूप से सभी बिंदुओं को असंपूर्ण बताकर पल्ला झाड़ने का काम करें।
03. मांगी गई सभी सूचनाएं मेरे द्वारा भेजे गये पत्रों से संबंधित हैं, जिनमें कुछ संलग्नक भी मौजूद हैं। यदि वह पत्र आपके पास हैं ही नहीं तो लिखित रूप में दें। यदि वह पत्र होने के बाद भी पत्र से संबंधित सूचना न देना अधिनियम की भावना के विरुद्ध है।
04. माननीय केंद्रीय सूचना आयोग के अनेक निर्णयों में यह स्पष्ट किया गया है कि **"सूचना स्पष्ट न होने"** का तर्क सूचना न देने का वैध आधार नहीं हो सकता, विशेषकर जब सूचना रिकॉर्ड आधारित हो।
05. **यदि मेरे द्वारा भेजे गये सभी पत्र विभाग के रिकॉर्ड में हैं ही नहीं तो कार्यवाही का विवरण भी क्या होगा? अर्थात विभाग के पास जितने भी प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र या शिकायत पत्र आते हैं तो संबंधित कार्यवाही और संबंधित प्रतिउत्तर भी मनमर्जी पर आधारित हैं।**

—क्रमशः पृष्ठ 3

22/12/25

अतः माननीय प्रथम अपीलीय अधिकारी से प्रार्थना है कि–

1. यदि ध्यान से पढ़ने के बाद लोक सूचना अधिकारी महोदय को संबंधित मूल आवेदन के सभी बिंदु स्पष्ट लगते हैं और समझ आते हैं तो संबंधित सूचना को निःशुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाएं।
2. यदि मूल आवेदन के सभी बिंदु की सूचना वास्तव में स्पष्ट नहीं है और लोक सूचना अधिकारी महोदय को समझ नहीं आ रहा है तो मेरे द्वारा बदलकर भेजे गये बिंदुओं को आधार बनाकर संबंधित सूचना को निःशुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाएं।
3. यदि किसी बिंदु की सूचना वास्तव में उपलब्ध नहीं है, तो उसका स्पष्ट, लिखित एवं प्रमाणित उत्तर प्रदान कराया जाए। जिसमें यह अंकित हो संबंधित तिथि का पत्र विभाग को प्राप्त ही नहीं हुआ है।

अतः निवेदन है कि लोक सूचना अधिकारी महोदय को निर्देशित करें कि मुझे मांगी गई सही सूचना निःशुल्क प्रदान की जाए।

संलग्न–

1. विभाग द्वारा भेजे गये भ्रमित करने वाले प्रतिउत्तर की छायाप्रति।

दिनांक : 22.12.2025

प्रार्थी

22/12/25

(राज शेखर भट्ट)
c/o अनिल कुमार कक्कड़, शिव गिरधर
निकुंज कॉलोनी, नियर नालापानी चौक
देहरादून (मो. 8859969483)

उत्तराखण्ड सरकार
RIGHT TO INFORMATION
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून
E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष: 0135–2662971 / फैक्स: 2662334

अपील संख्या–38 / 2025

(सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–19(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रथम अपील)

समक्षः श्री के. एस. चौहान, विभागीय (प्रथम) अपीलीय अधिकारी / संयुक्त निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

अपीलकर्ताः श्री राजशेखर भट्ट, शिव गिरधर निकुंज, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

बनाम

प्रत्युत्तरदाताः लोक सूचना अधिकारी / सहायक निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सुनवाई हेतु नोटिस

अपीलार्थी, श्री राजशेखर भट्ट, शिव गिरधर निकुंज, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून से दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 को सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–19(1) के अन्तर्गत प्रथम अपील प्राप्त हुई है। उक्त अपील की सुनवाई हेतु दोनों पक्षों के लिए सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड 'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड़, देहरादून में स्थित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में दिनांक **16 जनवरी, 2026** को **पूर्वाह्न 11:45 बजे** का समय निर्धारित किया जाता है। लोक सूचना अधिकारी स्वयं अथवा मामले से भिज्ञ उनके प्रतिनिधि, मामले से संबंधित अभिलेखों के साथ, सुनवाई हेतु उपस्थित रहेंगे।

2. इस संबंध में अपीलकर्ता को पंजीकृत डाक के माध्यम से सूचित किया जा रहा है।

3. दोनों पक्ष उपरोक्तानुसार सुनवाई हेतु उपस्थित रहें।

(के. एस. चौहान)
विभागीय (प्रथम) अपीलीय अधिकारी / संयुक्त निदेशक

संख्याः 09 / सू.एवंलो.स.वि.(सू.अ.)–347 / 2025, दिनांक 05 जनवरी, 2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. श्री राजशेखर भट्ट, शिव गिरधर निकुंज, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून(**पंजीकृत डाक से**)।
2. लोक सूचना अधिकारी / सहायक निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को अपीलकर्ता से प्राप्त अपील की फोटो प्रति सहित।

(के. एस. चौहान)
विभागीय (प्रथम) अपीलीय अधिकारी / संयुक्त निदेशक

संलग्न – 09

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून–248006
E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाषः 0135–2662971 / फैक्सः 2662334

RIGHT TO INFORMATION

अपील संख्या–38 / 2025

(सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–19(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रथम अपील)

समक्षः श्री के. एस. चौहान, विभागीय (प्रथम) अपीलीय अधिकारी / संयुक्त निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

अपीलकर्ताः श्री राजशेखर भट्ट, शिव गिरधर निकुंज, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

बनाम

प्रत्युत्तरदाताः लोक सूचना अधिकारी / सहायक निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश

अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रश्नगत अपील की सुनवाई दिनांक 16 जनवरी, 2026 को पूर्वाह्नः 11:45 बजे की गयी। सुनवाई के समय अपीलकर्ता तथा लोक सूचना अधिकारी उपस्थित थे।

अपीलकर्ता के मूल अनुरोध पत्र दिनांक 26.11.2025 के क्रम में विभागीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र संख्या–483, दिनांक 16 दिसम्बर, 2025 के माध्यम से जो सूचना उपलब्ध कराई गयी है उसके विरूद्ध वह सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–19(1) के तहत निम्नानुसार प्रथम अपील प्रस्तुत कर रहे हैः– अपीलार्थी का कथन है कि उनके द्वारा दिनांक 26 नवम्बर 2025 को सूखना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया वा, जो विभाग को 27 नवम्बर 2025 को प्राप्त हुआ। आवेदित सूचना के अन्तर्गत पांच बिंदुओं के संबंध में पर स्पष्ट एवं प्रमाणित सूचनाएं मांगी गई थी है, परन्तु विभाग / लोक सूचना अधिकारी द्वारा सीधा–सीचा भ्रमित करने वाला प्रतिउत्तर दिया गया है कि षबिंदु संख्या 01 से 05 तक अस्पष्ट हैं। अतः अनुमान के आधार पर सूचना उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।ष जबकि बिंदुओं में अस्पष्टता से संबंधित कोई भी ऐसी बात नहीं है कि अधिकारियों को अथवा आम जनमानस को समझने में कोई भी कठिनाई हो। आवेदन में पूछे गये पांच बिंदु निम्नलिखित है, जबकि विभाग / लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिये गये संलग्न प्रतिउत्तर में बिंदु संख्या 02 मलत प्रकाशित किया गया है–

01. मेरे द्वारा 08 अक्टूबर 2025 को महानिदेशक महोदय को पत्र भेजा गया था। संबंधित पत्र की संलग्नकों के साथ सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायें। 08 अक्टूबर 2025 से इस आवेदन का प्रतिउत्तर देने की तिथि तक संबंधित पत्र पर हुयी कार्यवाही का लिखित विवरण प्रस्तुत करें।

02. मेरे द्वारा 13 अक्टूबर 2025 को महानिदेशक महोदय को पत्र भेजा गया था। संबंधित पत्र की संलग्नकों के साथ सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायें। 13 अक्टूबर 2025 से इस आवेदन का प्रतिउत्तर देने की तिथि तक संबंधित पत्र पर हुयी कार्यवाही का लिखित विवरण प्रस्तुत करें।

03. मेरे द्वारा 24 अक्टूबर 2025 को महानिदेशक महोदय को पत्र भेजा गया था, जो कि विज्ञापन से संबंधित है। संबंधित पत्र की संलग्नकों के साथ सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायें। 24 अक्टूबर 2025 से इस आवेदन का प्रतिउत्तर देने की तिथि तक संबंधित पत्र पर हुयी कार्यवाही का लिखित विवरण प्रस्तुत करें।

04. मेरे द्वारा 30 अक्टूबर 2025 को महानिदेशक महोदय को पत्र भेजा गया था। संबंधित पत्र की संलग्नकों के साथ सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायें। 30 अक्टूबर 2025 से इस आवेदन का प्रतिउत्तर देने की तिथि तक संबंधित पत्र पर हुवी कार्यवाही का लिखित विवरण प्रस्तुत करें।

05. मेरे द्वारा 19 नवम्बर 2025 को सीएम पोर्टल के माध्यम से महानिदेशक महोदय को पत्र भेजा गया वा। जिसकी कार्यवाही अभी एल–2 अधिकारी कलम सिंह चौहान देख रहे हैं। संबंधित पत्र की संलग्नकों के साथ सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायें। 19 नवम्बर 2025 से इस आवेदन का प्रतिउत्तर देने की तिथि तक संबंधित पत्र पर हुयी कार्यवाही का लिखित विवरण प्रस्तुत करें।

महोदय, उक्त बिंदुओं में तिथियों का उल्लेख भी है, क्या प्रार्थी ने उक्त तिथियों को से ज्यादा पत्र विभाग में जमा किये थे, जो विभाग को पत्र ही नहीं प्राप्त हो रहे हैं। सभी पत्रों में यह भी दर्शाया गया है कि पत्र किस अधिकारी से संबंधित है, तो

संलग्न –10

स्पष्टता की बात करना को भ्रमित करने वाला जवाब ही कहा जायेगा। यदि विभाग के अधिकारियों अथवा लोक सूचना अधिकारी जी को यह उपरोक्त बिंदु अस्पष्ट लगते हैं और अनुमान (जिसकी बात मेरे द्वारा की गयी है और न ही अधिनियम अनुमान को मानता है) के आधार पर सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है, तो उपरोक्त पांच बिंदुओं को नये, स्पष्ट और सरल तरीके से पढ़ें और उपलब्ध कराने के आदेश दें–

01. मेरे द्वारा 08 अक्टूबर 2025 को महानिदेशक महोदय को पत्र भेजा गया था, अतः

1.1–उक्त पत्र की संलग्नकों के साथ सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायें।

1.2–उक्त पत्र पर इस आवेदन का प्रतिउत्तर देने की तिथि (16.12.2025) तक हुयी विभागीय कार्यवाही का लिखित विवरण प्रस्तुत करें।

02. मेरे द्वारा 13 अक्टूबर 2025 को महानिदेशक महोदय को पत्र भेजा गया था। अतः–

2.1– उक्त पत्र की संलग्नकों के साथ सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायें।

2.2–उक्त पत्र पर इस आवेदन का प्रतिउत्तर देने की तिथि (16.12.2025) तक हुयी विभागीय कार्यवाही का लिखित विवरण प्रस्तुत करें।

03. मेरे द्वारा 24 अक्टूबर 2025 को महानिदेशक महोदय को पत्र भेजा गया था, अतः–

3.1– उक्त पत्र की संलग्नकों के साथ सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायें।

3.2– उक्त पत्र पर इस आवेदन का प्रतिउत्तर देने की तिथि (16.12.2025) तक हुयी विभागीय कार्यवाही का लिखित विवरण प्रस्तुत करें।

04. मेरे द्वारा 30 अक्टूबर 2025 को महानिदेशक महोदय को पत्र भेजा गया था, अतः–

4.1– उक्त पत्र की संलग्नकों के साथ सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायें।

4.2– उक्त पत्र पर इस आवेदन का प्रतिउत्तर देने की तिथि (16.12.2025) तक हुयी विभागीय कार्यवाही का लिखित विवरण प्रस्तुत करें।

05. मेरे द्वारा 19 नवम्बर 2025 को सीएम पोर्टल के माध्यम से महानिदेशक महोदय को पत्र भेजा गया था, अतः–

5.1– उक्त पत्र की संलग्नकों के साथ सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायें।

5.2– एल–2 अधिकारी द्वारा उक्त पत्र पर इस आवेदन का प्रतिउत्तर देने की तिथि (16.12.2025) तक की गयी कार्यवाही का लिखित विवरण प्रस्तुत करें।

अपील के मुख्य आधार निम्नलिखित हैं–

01. मेरे द्वारा प्रत्येक बिंदु में स्पष्ट रूप से पत्र जमा करने की तिथि, पत्र से संबंधित अधिकारी का नाम भी लिखा गया है। अंततः पत्र से संबंधित कार्यवाही का विवरण मांगा गया था, जो किसी भी प्रकार से असंपूर्ण या अनुमान आधारित नहीं है।

02. यदि किसी बिंदु में सूचना उपलब्ध नहीं थी, तो लोक सूचना अधिकारी महोदय का यह दायित्व या कि यह अधिनियम के अनुसार स्पष्ट रूप से ष्सूचना उपलब्ध नहीं हैष लिखित रूप में प्रमाणित कर सकते थे, न कि सामूहिक रूप से सभी बिंदुओं को असंपूर्ण बताकर पल्ला झाड़ने का काम करें।

03. मांगी गई सभी सूचनाएं मेरे द्वारा भेजे गये पत्रों से संबंधित हैं, जिनमें कुछ संलग्नक भी मौजूद है। यदि वह पत्र आपके पास हैं ही नहीं तो लिखित रूप में दें। यदि वह पत्र होने के बाद भी पत्र से संबंधित सूचना न देना अधिनियम की भावना के विरुद्ध है।

04. माननीय केंद्रीय सूचना आयोग के अनेक निर्णयों में यह स्पष्ट किया गया है कि ष्सूचना स्पष्ट न होनेष का तर्क सूचना न देने का वैद्य आधार नहीं हो सकता, विशेषकर जब सूचना रिकॉर्ड आधारित हो।

05. यदि मेरे द्वारा भेजे गये सभी पत्र विभाग के रिकॉर्ड में है ही नहीं तो कार्यवाही का विवरण भी क्या होगा? अर्थात विभाग के पास जितने भी प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र या शिकायत पत्र आते हैं तो संबंधित कार्यवाही और संबंधित प्रतिउत्तर भी मनमर्जी पर आधारित हैं। अपीलकर्ता द्वारा अनुरोध किया गया है कि प्रथम अपील स्वीकार कर पूर्ण सूचना प्रदान कराने कि कृपा करें।

इस संबंध में विभागीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि आवेदक/अपीलकर्ता के मूल आवेदन पत्र, दिनांक 26 नवम्बर, 2025 के माध्यम से आवेदक/अपीलकर्ता द्वारा 05 बिन्दुओं की सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन पत्र का उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–5(4) के अन्तर्गत विभाग स्तर पर परीक्षण कराया गया और परीक्षणोपरान्त पाया कि उक्त आवेदन पत्र में अंकित समस्त बिन्दु अस्पष्ट हैं। जिस कारण आवेदक/अपीलकर्ता को सूचना उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं हो पाया। अतः उनके द्वारा अपने पत्र संख्या–483, दिनांक 16.12.2025 के माध्यम से आवेदक/अपीलकर्ता को स्पष्ट रूप से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। विभागीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि वह अपने स्तर से सूचना का गठन एवं विश्लेषण नहीं कर सकते हैं।

उपरोक्त अपील की सुनवाई तथा संगत अभिलेखों का अवलोकन करने के पश्चात स्पष्ट है विभागीय लोक

सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–5(4) के अनुसार विभाग स्तर पर परीक्षणोपरान्त उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति से आवेदक/अपीलकर्ता को अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से स्पष्ट रूप से अवगत कराया जा चुका है। यह भी कि लोक सूचना अधिकारी अपने स्तर से सूचना का गठन एवं विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। अतः प्रश्नगत प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि आवेदक/अपीलकर्ता के मूल आवेदन पत्र, दिनांक 26.11.2025 में अंकित बिन्दुओं के सम्बन्ध में आवेदक/अपीलकर्ता से लिखित रूप में स्पष्ट स्थिति प्राप्त होने पर वांछित सूचना उन्हें सशुल्क उपलब्ध करा दी जाए।

उपरोक्तानुसार अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति उभय पक्षों को प्रेषित की जा रही है।

(के. एस. चौहान)
विभागीय (प्रथम) अपीलीय अधिकारी/
संयुक्त निदेशक

संख्याः 16 /सू.एवंलो.स.वि.(सू.अ.)–247/2025, दिनांक 16 जनवरी, 2026

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. श्री राजशेखर भट्ट, शिव गिरधर निकुंज, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून**(पंजीकृत डाक से)**।
2. लोक सूचना अधिकारी/सहायक निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(के. एस. चौहान)
विभागीय (प्रथम) अपीलीय अधिकारी/
संयुक्त निदेशक

सूचना अधिकार अधिनियम 2005

पत्रांक संख्या : सूएवंलोसंवि/आरटीआई-16/प्रअआप-01   दिनांक : 10.02.2026

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग
देहरादून (उत्तराखण्ड)

विषय- प्रथम अपीलीय आदेश *(पत्र संलग्न)* के अनुसार 26 नवम्बर 2025 के आरटीआई आवेदन के अंतर्गत वांछित सूचना सशुल्क उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

मेरे / राज शेखर भट्ट द्वारा दिनांक *26 नवम्बर 2025* को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जो विभाग को *27 नवम्बर 2025* को प्राप्त हुआ। आवेदित सूचना के अन्तर्गत पांच बिंदुओं के संबंध में पर स्पष्ट एवं प्रमाणित सूचनाएं मांगी गई थी, परन्तु विभाग/लोक सूचना अधिकारी द्वारा सीधा-सीधा भ्रमित करने वाला प्रतिउत्तर दिया गया है कि ''बिंदु संख्या 01 से 05 तक अस्पष्ट हैं। अतः अनुमान के आधार पर सूचना उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।''

इस प्रतिउत्तर से राज शेखर भट्ट को आवेदित बिंदुओं से संबंधित वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुयी। अतः राज शेखर भट्ट द्वारा *पत्र संख्या सूएवंलोसंवि/आरटीआई-16/प्रअ-01* के अंतर्गत *दिनांक 22 दिसम्बर 2025* को प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी। *16 जनवरी 2026* को प्रथम अपील की सुनवाई में संबंधित अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद अपीलीय अधिकारी ने आदेश देकर अपील को निस्तारित किया। प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेशानुसार, **''आवेदक/अपीलकर्ता के मूल आवेदन पत्र/दिनांक 26 नवम्बर 2025 में अंकित बिंदुओं के संबंध में आवेदक/अपीलकर्ता से लिखित रूप में स्पष्ट स्थिति प्राप्त होने पर वांछित सूचना उन्हें सशुल्क उपलब्ध करा दी जाए।''**

प्रथम अपील में अपीलीय अधिकारी ने बताया कि यदि आपके पत्रों में पत्रांक संख्या होती तो वांछित सूचना उपलब्ध कराने में सहायता मिल जाती। लोक सूचना अधिकारी संबंधित सूचना का गठन एवं विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। अतः आदेशानुसार प्रार्थी से लिखित रूप में स्पष्ट स्थिति प्राप्त होने पर वांछित सूचना सशुल्क उपलब्ध करा दी जाये। प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के अनुसार लोक सूचना अधिकारी से मुलाकात भी की गयी और संबंधित वार्ता भी की गयी। लोक सूचना अधिकारी के द्वारा बताया गया कि 'वह सूचना का गठन एवं विश्लेषण नहीं कर सकते हैं।' उन्होंने बताया कि आवेदित सूचना के अन्तर्गत बिंदुओं से संबंधित/संलग्न पत्रों के 'विषय' को स्पष्ट कर दें।

मेरे / राज शेखर भट्ट के द्वारा 26 नवम्बर 2025 को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो आवेदन प्रस्तुत किया गया था, उसके अन्तर्गत 05 बिंदुओं के संबंध में सूचना मांगी गयी थी। सूचना अधिकार अधिनियम के उन पाचों बिंदुओं का संबंध मेरे द्वारा विभाग में जमा किये गये 05 प्रार्थना पत्रों से है, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न किये गये हैं। सभी पत्र सूचना एवं लोक संपर्क

क्रमशः पृष्ठ 2

सूचना एवं लोक ...
10/2/26

संलग्न - 11

विभाग के महानिदेशक **"बंशीधर तिवारी जी"** को भेजे गये हैं। सभी पत्रों के विषय एवं पत्र की व्याख्या/विश्लेषण/मांग निम्न प्रकार है-

26 नवम्बर 2025 को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदित पांच बिंदु

'बिंदु संख्या 01'- मेरे द्वारा 13 अक्टूबर 2025 को महानिदेशक महोदय को पत्र भेजा गया था। संबंधित पत्र की संलग्नकों के साथ सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायें। 13 अक्टूबर 2025 से इस आवेदन का प्रतिउत्तर देने की तिथि तक संबंधित पत्र पर हुयी कार्यवाही का लिखित विवरण प्रस्तुत करें।

संबंधित पत्र का विषय- निजी दर के आवेदन को विभागीय दर में परिवर्तित करने के कारण को जानने के संबंध में।

विषय एवं पत्र की व्याख्या/विश्लेषण- मेरे समाचार पत्र 'उक्रांद टाइम्स' को सितम्बर में एक विज्ञापन विभागीय दर पर प्राप्त हुआ, जबकि मांग निजी दर पर की गयी थी। कृपया दर परिवर्तन से संबंधित नियम/कारण स्पष्ट करें। यह भी बतायें कि एक ही स्वामी की दो पत्रिकाओं (जो सूचना में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध नहीं हैं) को एक साल में निजी दर पर 15-15 लाख तक विज्ञापन किस नियम/आदेश के अन्तर्गत दिये जा रहे हैं।

'बिंदु संख्या 02'- मेरे द्वारा 08 अक्टूबर 2025 को महानिदेशक महोदय को पत्र भेजा गया था। संबंधित पत्र की संलग्नकों के साथ सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायें। 08 अक्टूबर 2025 से इस आवेदन का प्रतिउत्तर देने की तिथि तक संबंधित पत्र पर हुयी कार्यवाही का लिखित विवरण प्रस्तुत करें।

संबंधित पत्र का विषय- न्यूज हाईट को पंजीयन प्रमाण पत्र न होने पर भी निजी विज्ञापन जारी करने के कारण को जानने के संबंध में।

विषय एवं पत्र की व्याख्या/विश्लेषण- साप्ताहिक समाचार पत्र 'न्यूज हाईट' का पंजीयन की तिथि नवम्बर 2023 है, लेकिन इस समाचार पत्र को फरवरी 2023 में विभाग द्वारा निजी दर पर विज्ञापन दिया गया है। पंजीयन प्रमाण पत्र न होने पर भी विज्ञापन देने से संबंधित नियम/आदेश स्पष्ट करें। विभाग द्वारा साप्ताहिक समाचार पत्र 'न्यूज हाईट' को फरवरी 2023 से दिसम्बर 2024 तक लगभग 21 लाख के विज्ञापन दिये गये हैं। विज्ञापन सूचीबद्धता न होने पर भी लगातार निजी दर पर विज्ञापन देने से संबंधित नियम/आदेश स्पष्ट करें।

'बिंदु संख्या 03'- मेरे द्वारा 24 अक्टूबर 2025 को महानिदेशक महोदय को पत्र भेजा गया था, जो कि विज्ञापन से संबंधित है। संबंधित पत्र की संलग्नकों के साथ सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायें। 24 अक्टूबर 2025 से इस आवेदन का प्रतिउत्तर देने की तिथि तक संबंधित पत्र पर हुयी कार्यवाही का लिखित विवरण प्रस्तुत करें।

संबंधित पत्र का विषय- समाचार पत्र को निजी दर पर विज्ञापन जारी करने के संबंध में।

विषय एवं पत्र की व्याख्या/विश्लेषण- यह पत्र, साप्ताहिक समाचार पत्र 'उक्रांद टाइम्स' का निजी विज्ञापन का आवेदन पत्र है, जिसके अन्तर्गत विभाग द्वारा निजी विज्ञापन दिया जा चुका है। लेकिन इसके विवरण की मांग का तत्पर्य है कि "संबंधित निजी विज्ञापन के संबंध में जमा किया गया आवेदन, डीजी आदेश, मुख्यमंत्री आदेश, संबंधित पत्रावली और संबंधित आरओ की छायाप्रति उपलब्ध करायें।

अगला पृष्ठ 3

'बिंदु संख्या 04'– मेरे द्वारा 30 अक्टूबर 2025 को महानिदेशक महोदय को पत्र भेजा गया था। संबंधित पत्र की संलग्नकों के साथ सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायें। 30 अक्टूबर 2025 से इस आवेदन का प्रतिउत्तर देने की तिथि तक संबंधित पत्र पर हुयी कार्यवाही का लिखित विवरण प्रस्तुत करें।

संबंधित पत्र का विषय– 1. सीएम पोर्टल पर की गयी शिकयतों को लम्बित करने एवं वेब पर अपनी टिप्पणी प्रश्नगत न देने के संबंध में। 2. पत्रों के संबंध में न सूचना और न ही प्रतिउत्तर प्राप्त होने के संबंध में।

विषय एवं पत्र की व्याख्या/विश्लेषण– मुख्यमंत्री समाधान पोर्टल में क्रमानुसार 26 अगस्त 2025 और 29 अगस्त 2025 को प्रार्थना पत्र/शिकायत पत्र जमा किया गया। जिसकी कार्यवाही के चलते दोनों फाईल एल–3 अधिकारी/अपर निदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के पास है, जिन्होंने लगभग 4 माह से फाईल डिमाण्ड पर रखी हुयी है। अक्टूबर 2025 के बाद से अब तक न तो निस्तारण हुआ और न ही कोई सूचना प्राप्त हुयी।

'बिंदु संख्या 05'– मेरे द्वारा 19 नवम्बर 2025 को सीएम पोर्टल के माध्यम से महानिदेशक महोदय को पत्र भेजा गया था। जिसकी कार्यवाही अभी एल–2 अधिकारी "कलम सिंह चौहान" देख रहे हैं। संबंधित पत्र की संलग्नकों के साथ सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायें। 19 नवम्बर 2025 से इस आवेदन का प्रतिउत्तर देने की तिथि तक संबंधित पत्र पर हुयी कार्यवाही का लिखित विवरण प्रस्तुत करें।

संबंधित पत्र का विषय– महानिदेशक महोदय को पूर्व में भेजे गये सभी पत्रों के संबंध में सूचना।

विषय एवं पत्र की व्याख्या/विश्लेषण– मुख्यमंत्री समाधान पोर्टल में यह पत्र 19 नवम्बर 2025 को भेजा गया और यह भी लिखा गया कि यह पत्र महानिदेशक महोदय तक भेजें। लेकिन अब तक एल–2 अधिकारी/संयुक्त निदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के द्वारा अब तक न तो कोई सूचना दी गयी है, न कोई कार्यवाही की गयी है। क्योंकि कार्यवाही अगर होती तो शायद संबंधित शिकायत बंद कर दी गयी होती।

महोदय, इस पत्र के साथ सभी वह 5 पत्र <u>संलग्न</u> किये गये हैं। संलग्न किये गये सभी पत्र प्रमाणित, सत्य एवं सही हैं और जिनसे संबंधित सूचना अधिकार में मांगी गयी सूचना की स्पष्ट स्थिति प्राप्त होती है। साथ ही सभी पत्रों से संबंधित विषय, पत्र की व्याख्या/विश्लेषण करके भी समझदारों को समझाने का प्रयास किया गया है। अतः वांछित सूचना सशुल्क उपलब्ध करायें।

दिनांक : 10.02.2026

प्रार्थी

(राज शेखर भट्ट)

c\o अनिल कुमार कक्कड़, शिव शिखर
निकुंज कॉलोनी, नियर नालापानी चौक
देहरादून (मो. 8859969483)

पंजीकृत

RIGHT TO INFORMATION

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, रिंग रोड, लाडपुर, निकट–वाणिज्य कर भवन, देहरादून।
E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष :0135–2662971 / फैक्स:2662334

पत्रांक : 84 / सू.एवं.लो.स.वि.(सूचना अधिकार)–222 / 2025, दिनांक 27 मार्च, 2026

सेवा में,

श्री राजशेखर भट्ट,
शिव गिरधर निकुंज,
सहस्त्रधारा, देहरादून।

विषयः अपील संख्या–38 / 2025 में पारित विभागीय अपीलीय अधिकारी के आदेश के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपील संख्या–38 / 2025, श्री राजशेखर भटट, शिवगिरधर निकुंज, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून बनाम लोक सूचना अधिकारी / सहायक निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून में पारित विभागीय अपीलीय अधिकारी / संयुक्त निदेशक के आदेश, दिनांक 16 जनवरी, 2026, जिसकी प्रति आपको भी पृष्ठांकित है, का संदर्भ उक्त आदेश के अनुक्रम में प्रेषित अपने अन्य पत्र, दिनांक 10.02.2026 के साथ लेने का कष्ट करें।

इसक्रम में आपके मूल अनुरोध पत्र, दिनांक 26.11.2025 के माध्यम से वांछित सूचना 02 पृष्ठ में इस पत्र के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है।

कृपया अवगत होना चाहें।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय

(एल. पी. भट्ट)
लोक सूचना अधिकारी / सहायक निदेशक

पत्रांकः / सू.एवं.लो.स.वि.(सूचना अधिकार)–222 / 2025, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि विभागीय (प्रथम) अपीलीय अधिकारी / संयुक्त निदेशक को उपरोक्त के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(एल. पी. भट्ट)
लोक सूचना अधिकारी / सहायक निदेशक

संलग्न –12

...सनिक अधिकारी / उप निदेशक,

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के पत्र संख्या 51 / सू.एवं लो.स.(सू0 आ0)–247 / 2025 दिनांक 20 फरवरी, 2026 के अन्तर्गत प्राप्त श्री राजशेखर भट्ट, शिव गिरधर निकुंज कॉलोनी, नियर नालापानी चौक, देहरादून बनाम लोक सूचना अधिकारी / सहायक निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून में पारित विभागीय अपीलीय अधिकारी / संयुक्त निदेशक के आदेश, दिनांक 16 जनवरी, 2026 के अनुसार आवेदक / अपीलकर्ता को उनके मूल अनुरोध पत्र, दिनांक 26.11.2025 में अंकित बिन्दुओं के संबंध मे आवेदक से लिखित रूप में स्पष्ट स्थिति प्राप्त होने पर वांछित सूचना सशुल्क उपलब्ध करायी जानी है। सम्बन्धित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त सूचना का विवरण आख्या / सूचना निम्नानुसार प्रस्तुत है।

क्र.सं.	मांगी गई सूचना	आख्या / सूचना।
01	बिन्दु संख्या 01 के कम मे आवेदक द्वारा मेरे 13 अक्टूबर, 2025 को महानिदेशक महोदय को पत्र भेजा गया था। पत्र मे मेरे समाचार पत्र उकांद टाइम्स को सितम्बर मे एक विज्ञापन विभागीय दर पर प्राप्त हुआ, जबकि मांग निजी दर पर की गयी थी। कृपया दर परिवर्तन से सम्बधित नियम / कारण स्पष्ट करें। यह भी बतायें कि एक स्वामी को दो पत्रिकाओ (जो सूचना मे विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध नहीं है) को एक साल में निजी दर पर 15–15 लाख तक विज्ञापन किस नियम / आदेश के अन्तर्गत दिये जा रहे है।	बिन्दु संख्या 01 के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि "उत्तराखण्ड प्रिंट मीडिया विज्ञापन नियमावली, 2015" (संशोधित, 2016)" नियमावली में निहित प्राविधानों के अर्न्तगत सम्यक विचारोपरान्त विभागीय / व्यावसायिक दर पर विज्ञापन उच्च स्तर पर लिये गये निर्णय के आधार पर निर्गत किये जाते है। अतः सम्बन्धित समाचार / पत्रिकाओं को नियमानुसार ही विज्ञापन दिया गया है। इसके अतिरिक्त समाचार पत्र / पत्रिकाओं को निजी दर पर विज्ञापन दिये जाने सम्बन्धी नियम / आदेश नियमावली 38 पृष्ठों में धारित है, जो विभागीय वेबसाइड www. uttarainformation.gov.in' से भी निःशुल्क डाउनलोड की जा सकती है।
02	बिन्दु संख्या 02 के कम मे आवेदक द्वारा मेरे 13 अक्टूबर, 2025 को महानिदेशक महोदय को पत्र भेजा गया था। संबधित पत्र की संलग्नकों के साथ सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायें। 08 अक्टूबर, 2025 से इस आवेदन का प्रतिउत्तर देने की तिथि तक संबधित पत्र पर हुयी कार्यवाही का लिखित विवरण प्रस्तुत करें। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के ... (...) लोक सूचना ... निदेशक सूचना विभाग ...	बिन्दु संख्या 02 के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि नियमावली मे निहित प्राविधानो के अर्न्तगत ही निजी दर पर विज्ञापन दिये जाने सम्बन्धित नियम 10.2 (घ) मे प्रदेश से प्रकाशित जिन समाचार पत्रों द्वारा विशेषांक के रूप मे विज्ञापन की मांग की जायेगी, उन्हे उनकी उपयोगिता एवं प्रसार संख्या की दृष्टिगत रखते हुए विशेष परिस्थितियों मे डी.ए.वी.पी / विभागीय दर पर विज्ञापन दिये जा सकेंगे। विशेष परिस्थितियों मे व्यावसायिक दरो पर विज्ञापन विभागीय मंत्री के अनुमोदन के उपरान्त ही दिये जा सकेंगे। अतः वर्णित समाचार को सूचना मंत्री / मा0 मुख्यमंत्री, महानिदेशक महोदय द्वारा नियमों मे शिथिलता प्रदान करते हुये विज्ञापन निर्गत किया गया है।

क्रमशः

	...ाहिक समाचार पत्र उकाद टाइम्स का निजी विज्ञापन का आवेदन का आवेदन पत्र है, जिसके अन्तर्गत विभाग द्वारा निजी विज्ञापन दिया जा चुका है। लेकिन इसके विवरण की मांग का तत्पर्य है कि सबधित निजी विज्ञापन के संबंध मे जमा किया गया आवेदन, डीजी आदेश, **मुख्यमंत्री आदेश, संबंधित पत्रावली और संबंधित आरओ की** छायाप्रति उपलब्ध कराये।	बिन्दु 03 के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि आपके आवेदन पत्र दिनांक 24.10.2025 के कम मे समाचार पत्र उकांद टाइम्स को नियमावली मे निहित प्राविधानों के अर्न्तगत ही निजी दर पर विज्ञापन विभागिय सूचना मंत्री/उच्च अधिकारियों के अनुमोदन प्राप्त होने पर रू0 200,000.00 (दो लाख) का व्यावसायिक विज्ञापन निर्गत किया गया है। जिससे सम्बन्धित पत्रावली अन्य प्रकरण में गतिमान है।
04	मुख्यमंत्री समाधान पोर्टल मे क्रमानुसार 26 अगस्त 2025 और 29 अगस्त 2025 को प्रार्थना पत्र/शिकायत पत्र जमा किया गया। जिसकी कार्यवाही के चलते दोनो फाईल एल–3 अधिकारी/अपर निदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के पास है, जिन्होने लगभग 4 माह से फाईल डिमाण्ड पर रखी हुयी हैं। अक्टूबर 2025 के बाद से अब तक न तो निस्तारण हुआ और न ही कोई सूचना प्राप्त हुयी।	बिन्दु सख्या 04 के कम मे अवगत कराना है कि सीएम पोर्टल पर दर्ज शिकायत दिनांक 26 अगस्त, 2025 के कम मे सबधित द्वारा वर्णित सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना का अवलोकन कराया जा चुका है। दिनांक 29 अगस्त, 2025 के कम मे सबधित शिकायत के सम्बन्ध में विभाग मे वर्तमान मे प्रचलित उत्तराखण्ड प्रिन्ट मीडिया नियमावली 2015 संशोधित 2016 में निहीत व्यवस्था के अनुसार विज्ञापन दिये जा रहे है। जिससे सम्बन्धित सूचना सीएम हैल्पलाइन के माध्यम से उपलब्ध करा दी गयी है।
5	मुख्यमंत्री समाधान पोर्टल में यह पत्र 19 नवम्बर 2025 को भेजा गया और यह भी लिखा गया कि यह पत्र महानिदेशक महोदय तक भेजे। लेकिन अब तक एल–2 अधिकारी/संयुक्त निदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के द्वारा अब तक न तो कोई सूचना दी गयी है, न कोई कार्यवाही की गयी है। क्योकि कार्यवाही अगर होती तो शायद सबधित शिकायत बंद कर दी गयी होती।	बिन्दु 05 के कम मे अवगत कराना है कि सम्बन्धित सूचना सीएम हैल्पलाइन के माध्यम से उपलब्ध करा दी गयी है।

कृपया तदनुसार अवगत होते हुये सहमति की दशा मे संबंधित को सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धी सूचना का अधिकार सेल को संदर्भित करने का कष्ट करें।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी

17/03/2026
(विपिन चन्द्र)
प्रधान सहायक

RTI cell

...निदेशक
लोक सू...

20/3/26

RIGHT TO INFORMATION

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, रिंग रोड, लाडपुर, निकट–वाणिज्य कर भवन, देहरादून–248006
E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांक 348 / सू.एव.लो.स.वि.(सूचना अधिकार)–150 / 2025, दिनांक 29 सितम्बर, 2025

सेवा में,

श्री राज शेखर भट्ट,
शिव गिरधर निकुंज,
नालापानी चौक, देहरादून।

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत अवलोकन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपने आवेदन पत्र, दिनांक 04.09.2025 एवं दिनांक 22.09.2025 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

उक्त पत्र के माध्यम से मांगी गयी सूचना के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् है:–

बिन्दु संख्या	आवेदित सूचना (मूल आवेदन पत्र)	प्रति उत्तर
1	वर्ष 2022 से अगस्त 2025 तक " पर्वत जन" मासिक पत्रिका को निजी दर पर दिये गये विज्ञापनों से संबंधित सभी आवेदन पत्र, सभी रेट कार्ड, मुख्यमंत्री और महानिदेशक के ऑर्डर और सभी आरओ की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।	वांछित सूचना की आंशिक सूचना **46 पृष्ठों में धारित** है। अवशेष सूचना धारित नहीं है।
3	वर्ष 2022 से अगस्त 2025 तक " हस्तक्षेप " मासिक पत्रिका को निजी दर पर दिये गये विज्ञापनों से संबंधित सभी आवेदन पत्र, सभी रेट कार्ड, मुख्यमंत्री और महानिदेषक के ऑर्डर और सभी आरओ की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।	
5	वर्ष 2022 से अगस्त 2025 तक " उत्तराखण्ड शंखनाद" पाक्षिक पत्रिका को निजी दर पर दिये गये विज्ञापनों से संबंधित सभी आवेदन पत्र, सभी रेट कार्ड, मुख्यमंत्री और महानिदेषक के ऑर्डर और सभी आरओ की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।	
7	वर्ष 2022 से अगस्त 2025 तक " सण्डे पोस्ट" साप्ताहिक समाचार पत्र को निजी दर पर दिये गये विज्ञापनों से संबंधित सभी आवेदन पत्र, सभी रेट कार्ड, मुख्यमंत्री और महानिदेषक के ऑर्डर और सभी आरओ की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।।	वांछित सूचना की आंशिक सूचना **23 पृष्ठों में** धारित है।
8	वर्ष 2022 से अगस्त 2025 तक " पर्वत संकल्प" दैनिक समाचार पत्र को निजी दर पर दिये गये विज्ञापनों से संबंधित सभी आवेदन पत्र, सभी रेट कार्ड, मुख्यमंत्री और महानिदेषक के ऑर्डर और सभी आरओ की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।।	वांछित सूचना की आंशिक सूचना **17 पृष्ठों में धारित** है।
2	सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग में " पर्वतजन" मासिक पत्रिका की विज्ञापन सूचीबद्धता की स्थिति (सूचीबद्धता होने से अगस्त 2025 तक) से संबंधित सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।	बिन्दु संख्या–02 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत पत्रिका विभाग में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध नहीं है।
4	सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग में " हस्तक्षेप" पाक्षिक पत्रिका की विज्ञापन सूचीबद्धता की स्थिति (सूचीबद्ध होने से अगस्त 2025 तक) से संबंधित सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।	बिन्दु संख्या–04 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत पत्रिका विभाग में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध नहीं है।
6	सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग में "उत्तराखण्ड शंखनाद" मासिक पत्रिका की विज्ञापन सूचीबद्धता की स्थिति (सूचीबद्धता होने से अगस्त 2025 तक) से संबंधित सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।।	बिन्दु संख्या–06 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत पत्रिका विभाग में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध नहीं है।

कृपया ₹02/– प्रति पृष्ठ की दर से उपरोक्तानुसार धारित **कुल 86 पृष्ठ** की सूचना का अतिरिक्त शुल्क **₹172/–** नकद, पोस्टल ऑर्डर, डिमान्ड ड्राफ्ट, नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प, बैंकर्स चेक या ट्रेजरी चालान के माध्यम से विभागीय राजकोष, सूचना भवन, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून में जमा करने का कष्ट करें, ताकि वांछित सूचना/अभिलेख आपको उपलब्ध कराये जा सकें। इस पत्र के अन्तर्गत दी गयी जानकारी से यदि आप असंतुष्ट हो तो, पत्र प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में विभाग के अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। विभागीय अपीलीय अधिकारी का नाम/पता निम्नवत् है:–

श्री के. एस. चौहान,
संयुक्त निदेशक/अपीलीय अधिकारी,
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,उत्तराखण्ड,
लाडपुर, रिंग रोड,देहरादून–248006
फोन नं.– 0135–2662971

भवदीय

(अर्चना)
लोक सूचना अधिकारी/सहायक निदेशक

संलग्न –13

प्रशासनिक अधिकारी / सूचना सेल

कृपया सम्मुख प्रस्तुत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत विभागीय अपीलीय अधिकारी / संयुक्त निदेशक के पत्रांक संख्याः 427 दिनांक 13 नवंबर, 2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

संदर्भित पत्र में अपील संख्या –25 / 2025, श्री राजशेखर भट्ट, शिव गिरधर निकुंज, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून बनाम लोक सूचना अधिकारी / सहायक निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून में पारित विभागीय अपीलीय अधिकारी / संयुक्त निदेशक के आदेश, दिनांक 13 नवंबर, 2025 के अनुसार आवेदक / अपीलकर्ता को उनके मूल अनुरोध पत्र में अंकित बिन्दु संख्या–01,03,05,07 एवं 08 की सूचना आंशिक दर्शायी गई है।

इस संबंध में अवगत कराना है कि उक्त बिन्दुओं की सूचना वांछित रूप में उपलब्ध कराई गई थी। परन्तु वांछित के स्थान पर आंशिक त्रुटिवश टंकण हो गया था। अतः उक्त बिन्दुओं से संबंधित पूर्ण सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है।

कृपया उक्तानुसार अवगत होते हुए सहमति की दशा में पत्रावली सूचना सेल को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संदर्भित करने का कष्ट करें।

2/12/25
(दिग्विजय सिंह रावत)
प्रधान सहायक

02/12/25
(विपिन चन्द्र)
प्रधान सहायक

03/12/25

RTI cell

5/12/25

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सत्यापित

(एल. पी. भट्ट)
लोक सूचना अधिकारी / सहायक निदेशक
सूचना विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पंजीकृत

RIGHT TO INFORMATION

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, रिंग रोड, लाडपुर, निकट—वाणिज्य कर भवन, देहरादून—248006
E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष : 0135—2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांक 337 / सू.एव.लो.स.वि.(सूचना अधिकार)—145 / 2025, दिनांक 22 सितम्बर, 2025

सेवा में,

श्री राज शेखर भट्ट,
शिव गिरधर निकुंज,
नालापानी चौक, देहरादून।

विषयः— सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत अतिरिक्त शुल्क के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपने आवेदन पत्र, दिनांक 02.09.2025, जो दिनांक 02.09.2025 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

उक्त पत्र के माध्यम से मांगी गयी सूचना के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् हैः—

बिन्दु संख्या	आवेदित सूचना (मूल आवेदन पत्र)	प्रति उत्तर
1	जनवरी 2024 से अगस्त 2025 तक लखनऊ दैनिक समाचार पत्र "वार्तालाप" को निजी एवं विभागीय दर पर दिये गये विज्ञापनों से संबंधित आरओ, संबंधित ऑर्डर, संबंधित नियम और भुगतन की छायाप्रति सत्यापित करके उपलब्ध करवायें।	इस संबंध में अवगत कराना है कि दैनिक वार्तालाप को विभाग द्वारा केवल डीएवीपी दर पर विज्ञापन जारी किये गये है। अतः वांछित सूचना धारित नही है।
2	अक्टूबर 2024 से अगस्त 2025 तक दिल्ली सांध्य दैनिक समाचार पत्र "द इम्प्रेसिव टाइम्स" को निजी एवं विभागीय दर पर दिये गये विज्ञापनों से संबंधित आरओ, संबंधित ऑर्डर, संबंधित नियम और भुगतान की छायाप्रति सत्यापित करके उपलब्ध करवायें।	इसक्रम में अवगत कराना है कि विभाग द्वारा केवल दैनिक द इम्प्रेसिव टाइम्स, दिल्ली को डीएवीपी दर पर विज्ञापन जारी किये गये है। अतः वांछित सूचना धारित नही है।
3	दिसम्बर 2022 से अगस्त 2025 तक मुंबई के साप्ताहिक समाचार पत्र "हिन्दी विवेक" को निजी एवं विभागीय दर पर दिये गये विज्ञापनों से संबंधित आरओ, संबंधित ऑर्डर, संबंधित नियम और भुगतान की छायाप्रति सत्यापित करके उपलब्ध करवायें।	वांछित सूचना **06 पृष्ठों** में धारित है।
4	वर्ष 2025 (जनवरी से अगस्त तक) में पौड़ी से प्रकाशित समाचार पत्र " बिनसरी कु घाम" को निजी एवं विभागीय दर पर दिये गये विज्ञापनों से संबंधित आरओ, संबंधित ऑर्डर, संबंधित नियम और भुगतान की छायाप्रति सत्यापित करके उपलब्ध करवायें। इस समाचार पत्र की विज्ञापन सूचीबद्वता से संबंधित सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।	इस संबंध में अवगत कराना है कि वांछित सूचना **02 पृष्ठों** में धारित है तथा उक्त समाचार पत्र की पत्रावली वर्तमान में भुगतान हेतु उच्च स्तर पर गतिमान है। यह भी कि उक्त समाचार पत्र विभाग में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध नही है।

कृपया ₹02/— प्रति पृष्ठ की दर से उपरोक्तानुसार धारित **कुल 08 पृष्ठ** की सूचना का अतिरिक्त शुल्क **₹16/—** नकद, पोस्टल ऑर्डर, डिमान्ड ड्राफ्ट, नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प, बैंकर्स चेक या ट्रेजरी चालान के माध्यम से विभागीय राजकोष, सूचना भवन, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून में जमा करने का कष्ट करें, ताकि वांछित सूचना/अभिलेख आपको उपलब्ध कराये जा सकें।

इस पत्र के अन्तर्गत दी गयी जानकारी से यदि आप असंतुष्ट हो तो, पत्र प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में विभाग के अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। विभागीय अपीलीय अधिकारी का नाम/पता निम्नवत् हैः—

श्री के. एस. चौहान,
संयुक्त निदेशक/अपीलीय अधिकारी,
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,उत्तराखण्ड,
लाडपुर, रिंग रोड़,देहरादून—248006
फोन नं.— 0135—2662971

भवदीय

(एल. पी. भट्ट)
लोक सूचना अधिकारी/सहायक निदेशक

संलग्नक — 14

To register your Grievance pertaining to Ministry/ Department of Government of India/Other State Governments, please visit

1905 उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन

HOME ABOUT US GOVERNMENT ORDER PRIVACY POLICY CONTACT US REGISTER COMPLAINT LODGE CPGRAMS GRIEVANCE TRAINING MANUAL PROFILE MY COMPLAINTS LOGO

Profile | My Complaints | Complaint # CMHL-112025-2-894913 | My CP Gram Complaints

REGISTERED COMPLAINT

Complaint Term	Demand (माँग)
Department	सूचना एवं लोक संपर्क विभाग
Sub Department	सूचना एवं लोक संपर्क विभाग
Attributes	आवेदन सम्बन्धी
District	देहरादून
Block	देहरादून
Complaint Source	Portal
Complaint Date	19-Nov-2025
Assigned Date	19-Nov-2025
Assigned Officer	श्री अरविन्द कुमार त्रिपाठी - L3
Complaint Summary	एल-1 तथा एल-2 अधिकारी से विनम्र निवेदन है कि यह प्रार्थना पत्र महानिदेशक महोदय के नाम पर है और उन्हीं से संबंधित है। अतः प्रार्थी के ऊपर इतना दयाभाव जरूर करें कि महानिदेशक महोदय को पत्र पहुंच जाये। साधारण तरीके से बहुत पत्र भेजे जा चुके हैं। लेकिन अब तक पता नहीं चल पाया है कि वह पत्र महानिदेशक महोदय तक पहुंच पाये हैं अथवा किसी अन्य अधिकारी ने अपने स्तर पर ही बिना कार्यवाही के उनको निस्तारित कर दिया है। क्योंकि इस विभाग में काम हुआ है या नहीं हुआ है, इसका प्रतिउत्तर या सूचना देने का रिवाज नहीं है। धन्यवाद
Complaint Current Status	Demand
Complaint Last Updated On	26-Nov-2025 02:50 pm

CALLER DETAILS

Full Name	Raj Shekhar `Bhatt
Gender	Male
Email	rajshekharbhatt@gmail.com
Address	83/1, bakralwala
District	देहरादून
City	Bakralwala
Block	रायपुर
Pincode	248001

COMPLAINT ATTACHMENTS -

application_19112025.pdf

Comment Date	Comment By	Comment	Attachment
17-Mar-2026 11:45 am	श्री कलम सिंह चौहान *(Officer)*	इस संबंध में अवगत कराना है कि शासन के पत्र सूचना अनुभाग देहरादून, दिनांक 21 जून, 2023 के कम में विज्ञापन सम्बन्धी आवेदन पत्रों के लिये कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। क्योंकि उक्त से सम्बन्धित सूचना आपको पूर्व में सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के माध्यम से उपलब्ध करायी जा चुकी है।	
17-Mar-2026 11:45 am	श्री कलम सिंह चौहान *(Officer)*	Complaint/Reference assigned to L3 officer - Demand	
26-Nov-2025 02:50 pm	Raj Shekhar `Bhatt (Caller)	एल2 अधिकारी महोदय से निवेदन है कि इस प्रार्थना पत्रशिकायत में इतना समय लगने से संबंधित कार्य नहीं है कि 7 दिन 15 दिन या 1 महीने का समय लगेगा। जैसा कि आपके द्वारा पिछली दो शिकायतों में एक माह तक कोई भी प्रतिउत्तर नहीं दिया गया न वेब पर कमेंट किया न किसी अन्य अधिकारी को शिकायत अग्रसारित की और न ही कोई कार्यवाही की। जिन दोनों शिकायतों को एल3 अधिकारी ने अब तक डिमाण्ड पर रखा हुआ है। सीएम और सीएम पोर्टल बनाने का औचित्य क्या रह जाता है जब अधिकारी संज्ञान ही न ले।	
19-Nov-2025 04:08 pm	BADRI CHAND *(Officer)*	Complaint/Reference sent to other Level - महोदय शिकायतकर्ता की शिकायत निस्तारण हेतु अग्रसारित।	

संलग्न - 15

पर्वत की धड़कन
पर्वतजन
ase visit us: www.parvatjan.com

108/12, नेहरू कॉलोनी, देहरादून
9412056112
parvatjan@gmail.com

दिनांक :

सेवा में

महानिदेशक
सूचना एवं लोक संपर्क विभाग
देहरादून

विज्ञापन दें

अंतिम आवरण
रू. 1,20,000.00

दूसरा एवं तीसरा आवरण
रू. 1,00,000.00

विषयः— विकास परिशिष्ट के अवसर पर विज्ञापन हेतु

महोदय

उत्तराखंड प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों वाला प्रगतिशील राज्य है। उत्तराखंड पूरे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्वच्छता सहित कई विकास योजनाओं में अग्रिम पंक्ति में है। उत्तराखंड में विकास के बढ़ते कदमों को लेकर विकास परिशिष्ट का प्रकाशन किया जा रहा है। इस हेतु विभिन्न विभागों से विकास कार्यों की उपलब्धियों का संकलन और प्रकाशन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि **पर्वतजन प्रकाशन समूह** पिछले 22 वर्षों से पर्वतीय विकास में जनपक्षीय पत्रकारिता की भूमिका बखूबी निभाता आ रहा है। हम सदैव आपकी आवश्यकताओं पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे। **पर्वतजन** आपके विज्ञापन का बेहतर रिस्पांस देने में सक्षम है। अनुरोध है कि इस अवसर पर प्रकाशित होने वाले विशेषांक में **पर्वतजन** में अपने विभाग व संस्थान का पांच पृष्ठ रंगीन विज्ञापन सहयोग स्वरूप प्रदान करेंगे।

धन्यवाद।

DD / श्री विज्ञप्ति... जी
...

भवदीय

पर्वतजन
व्यवस्थापक

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सत्यापित
(...पी. भट्ट) ... निदेशक

संलग्न – 16

पर्वत की धड़कन
...जन
visit us: www.parvatjan.com
108/12, नेहरू कॉलोनी, देहरादून
9412056112
parvatjan@gmail.com

सेवा में

पत्रांक :

महानिदेशक
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
देहरादून, उत्तराखंड

दिनांक : 15/03/2023

विषयः– विकास परिशिष्ट के अवसर पर विज्ञापन हेतु

महोदय

उत्तराखंड प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों वाला प्रगतिशील राज्य है। उत्तराखंड पूरे देश में शिक्षा स्वास्थ्य, कृषि, स्वच्छता सहित कई विकास योजनाओं में अग्रिम पंक्ति में है। उत्तराखंड में विकास के बढ़ते कदमों को लेकर विकास परिशिष्ट का प्रकाशन किया जा रहा है। इस हेतु विभिन्न विभागों से विकास कार्यों की उपलब्धियों का संकलन और प्रकाशन किया जाएगा।

महोदय इस विशेषांक में आपसे निवेदन है कि सरकार की उपलब्धियों से संबंधित प्रति पेज दो लाख की दर से चार पृष्ठ का विज्ञापन उपलब्ध कराएंगे।

धन्यवाद।

CAO
17/3

17-03-23
C.A.O.

विज्ञापन दरें
अंतिम आवरण
रू. 2,20,000.00
दूसरा एवं तीसरा आवरण
रू. 2,10,000.00
संपूर्ण पृष्ठ (B/W)
रू. 2,00,000.00

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सत्यापित

(एल. पी. भट्ट)

शिवप्रसाद सेमवाल
निदेशक